

अध्याय IX: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड

9.1 पर्याप्त यथोचित श्रम न करने के कारण बकाए की गैर वसूली

बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने वित्तीय विवरण की सटीकता सुनिश्चित किए बिना ₹13.50 करोड़ में एक हानि उन्मुख कंपनी मै. वेकेशन एक्जोटिका डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड (वीईडीपीएल) का अधिग्रहण किया। भुगतान की अंतिम किस्त जारी करने से पहले वित्तीय सुलह नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.99 करोड़ के बकाए का पता चला, जिसे वसूल करने में कंपनी विफल रही।

मै. वेकेशन एक्जोटिका डेस्टिनेशन प्राइवेट लिमिटेड (वीईडीपीएल) द्वारा उसकी 50 प्रतिशत इक्विटी का अधिग्रहण करने के लिए बॉमर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) से संपर्क किया गया (नवम्बर 2012)। टूर एवं ट्रेवल्स कारोबार से जुड़ी कंपनी वीईडीपीएल एक साझेदारी फर्म के रूप में 2007 में स्थापित की गई थी और तत्पश्चात एक निजी लिमिटेड कंपनी में बदल गई (2012)। कंपनी ने 'वेकेशन एक्जोटिका' ब्रांड के अधिग्रहण के मूल उद्देश्य के साथ इसकी 50 प्रतिशत इक्विटी की बजाए वीईडीपीएस के पूरे टूर खण्ड ट्रेवल्स कारोबार का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2013)। अधिग्रहण का तर्क यह था कि इससे कंपनी को टूर एवं आरामदायक ट्रेवल कारोबार शुरू करने का अवसर मिलेगा।

कंपनी ने अकेले आधार पर और साथ ही साथ कंपनी के साथ इसके सहयोग को ध्यान में रखते हुए वीईडीपीएल के कारोबार का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए। दो विशेषज्ञ अर्थात् मै. बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (बीओबी) और मै. केपीएमजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (केपीएमजी) को नियुक्त किया जिन्होंने सिफारिश की कि वीईडीपीएल का मूल्य ₹13.50 करोड़ से ₹30.40 करोड़ अकेले तथा कंपनी के सहयोग को ध्यान में रखते हुए ₹63.00 करोड़ से ₹79.80 करोड़ तक हो सकता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मूल्यांकन कंपनी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर किया गया था जिसमें 2014-18 के दौरान वीईपीडीएल के कारोबार में उच्च वृद्धि संभावित थी (अकेले आधार पर 27 प्रतिशत से 30 प्रतिशत वृद्धि दर और कंपनी के सहयोग से 33 प्रतिशत से 114 प्रतिशत), जबकि, वीईडीपीएल शुरू से (2007-08) हानि उठा रही थी। अंत में कंपनी ने ₹13.50 करोड़ मूल्य मानते हुए जनवरी 2014 में वीईडीपीएल का कारोबार अधिग्रहीत किया। अधिग्रहण के बाद वीईडीपीएल के टूर एण्ड ट्रेवल्स कारोबार से कोई लाभ नहीं हुआ

और उच्च वृद्धि को झुठलाते हुए जनवरी 2014 से सितम्बर 2017 की अवधि के दौरान ऐसे कारोबार पर ₹26.94 करोड़ की कुल हानि उठानी पड़ी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने निदेशक मंडल (बीओडी) ने अधिग्रहण प्रस्ताव (अप्रैल 2013) को ध्यान में रखते हुए वीडिपीएल की परिशोधन स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। कंपनी ने अधिग्रहण ग्रांट थार्नटन इंडिया एलएलपी को वीडिपीएल का यथोचित वित्तीय श्रम करने का काम दिया था। यथोचित वित्तीय श्रम से पता चला (नवम्बर 2013) कि वीडिपीएल के लेखांकन सॉफ्टवेयर में डाटा एंट्री त्रुटियों की संभावना थी और उचित प्रणालियों और नियंत्रणों का अभाव था। कंपनी के बीओडी ने 30 सितम्बर 2013 को समाप्त पहली छमाही के लिए वीडिपीएल के लेखाओं की विस्तृत लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2013)। मै. डेलॉइटी हास्किंस एण्ड सेल्स को लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया था (फरवरी 2014)।

कंपनी के बीओडी ने वीडिपीएल की लेखापरीक्षा करने तथा अधिग्रहण करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2013)। कंपनी के पूर्ण कालिक निदेशकों के साथ-साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वीडिपीएल के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत थे। हालांकि, लेखापरीक्षक के रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना कंपनी ने ₹13.50 करोड़ पर वीडिपीएल का अधिग्रहण किया (जनवरी 2014)। अधिग्रहण के बाद लेखापरीक्षक ने मई 2014 की अपनी रिपोर्ट में वीडिपीएल के निर्धारित परिसंपत्ति पंजिकाओं, उधारकर्ताओं के लेखांकन, ऋण एवं अग्रिम तथा विज्ञापन व्यय आदि के अनुरक्षण से संबंधित बही खाते में कमियों को इंगित किया था। हालांकि अधिग्रहण का भुगतान तबतक कर दिया गया था (फरवरी 2014) और अगस्त 2014 में अंतिम किस्त जारी कर दी गई थी।

अधिग्रहण की शर्तों के अनुसार, तत्कालीन वीडिपीएल कारोबार के लिए सभी बिलों और तत्संबंधी के मूल्य को 1 जनवरी 2014 से कंपनी के खाते में बुक किया जाना था जबकि मौजूदा प्रविष्टियों को बाद में और मिलान करके वीडिपीएल की बही से कंपनी की बहियों में स्थानांतरित कर दिया जाना था। मिलान करने पर कंपनी ने वीडिपीएल से ₹3.99 करोड़ का बकाया पाया। तब तक कंपनी ₹13.50 करोड़ की पूरी किस्त जारी कर चुकी थी।

कंपनी के खाते में वीडिपीएल से ₹3.99 करोड़ का बकाया वसूली योग्य था (दिसंबर 2017 तक)। क्योंकि वीडिपीएल का कारोबार पहले ही कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था और कारोबार के लिये पूर्ण भुगतान कर दिया गया था इसलिये इस राशि की वसूली की संभावना बहुत कम थी।

प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2017) कि वीडिडीपीएल से ₹3.99 करोड़ की देय राशि खरीद का अंतिम भुगतान करने के बाद मिलान करने पर सामने आई और सूचित किया कि यदि राशि मार्च 2018 तक वसूली नहीं की जाती, तो यह राशि कंपनी के खाते से भरी जायेगी।

प्रबंधन का उत्तर, नुकसान वाली निजी कंपनी अधिग्रहीत करते समय इसकी ओर से उचित निर्णय लेने में कमी दर्शाता है। इस राशि को प्रदान करने की प्रबंधन की तत्परता, जबकि वीडिडीपीएल का प्रयोजक वर्तमान में उसके टूर कारोबार के मुख्य ऑपरेटिंग अधिकारी के रूप में कंपनी का कर्मचारी है भी इस तथ्य पर जोर देता है कि इसकी वसूली कठिन है।

इस प्रकार, कंपनी ने, वीडिडीपीएल जो नुकसान में जा रही कंपनी है को ₹13.50 करोड़ में अधिग्रहीत किया। कारोबार में जनवरी 2014 से सितंबर 2017 तक कंपनी को ₹26.94 करोड़ की कुल हानि सहित अधिग्रहण के बाद लगातार नुकसान होता रहा। वीडिडीपीएल के खाते के संबंध में, अधिग्रहण से पूर्व विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा की गई थी, कंपनी ने अधिग्रहण के लिये भुगतान करने से पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों का इंतजार नहीं किया। बाद में, मिलान के बाद ₹3.99 करोड़ की बकाया देयता देखी गई, जिसकी वसूली मुश्किल लगती है।

मामले को नवंबर 2017 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

9.2 डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कर्मचारियों को अनियमित भुगतान

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंपनी द्वारा 40 वर्ष और कोची रिफाईनरी द्वारा 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ₹25.14 करोड़ की राशि को अपने प्रत्येक कर्मचारी को ₹20000 भुगतान किया।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के 40 वर्ष के साथ-साथ कोच्ची रिफाईनरी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर, कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को ₹20000 के पारितोषिक अनुदान को अनुमोदित (अक्टूबर 2016) किया। कंपनी के रोल पर 12572 कर्मचारियों¹ को ₹20000/- की राशि प्रति कर्मचारी को दी गई थी, जिसके चलते इस खाते पर ₹25.14 करोड़ का व्यय हुआ।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि

¹ प्रबंधन: 5684 और गैर-प्रबंधन: 6888

- i. मार्च 1978 में केन्द्रिय कैबिनेट ने निर्देशित किया था कि पारितोषिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सिल्वर/गोल्डन जूबली उत्सवों के अवसर में स्वीकृत नहीं किये जाने चाहिए।
- ii. लोक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) ने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उपरोक्त नितियों का पालन करने का निर्देश दिया था।
- iii. डीपीई दिशानिर्देश (नवम्बर 1997) विशेष रूप से यह निर्धारित करते हैं कि बोनस अधिनियम अथवा पूर्व अनुग्रह के संबंध में डीपीई द्वारा जारी किये गये कार्यकारी निर्देशों के अन्तर्गत हकदार के अतिरिक्त कोई पूर्व-अनुग्रह भुगतान, मानदेय, अथवा पारितोषिक लोक उद्यमों द्वारा अपने कर्मचारियों को नहीं दिये जाने चाहिए जब तक की राशि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप में विधिवत अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राधिकृत ना किया हो।
- iv. दिशानिर्देशों के सार-संग्रह में, स्मारक अवसरों पर सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए पारितोषिक/मोमेन्टो पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम के विभाग (डीपीई) द्वारा कोई निर्धारित दिशानिर्देश (नवम्बर 2015) नहीं पाए गये थे।
- v. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने सभी आर्यल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) को निर्देश (नवम्बर 2012) दिया था कि इस मामलों पर सभी लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन तब तक सख्ती से किया जाए जब तक की स्मारक अवसरों पर कर्मचारियों के लिए नकद/वस्तु में पारितोषिक के भुगतान पर दिशानिर्देशों का गठन कर लिया जाए। एमओपीएनजी के निर्देशों पर आधारित लेखापरीक्षा ने देखा कि, सभी सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए ओएनजीसी द्वारा विषय पर मसौदा दिशानिर्देश तैयार किये गये थे और अक्टूबर 2015 में एमओपीएनजी को प्रस्तुत किये गये थे, जिसका अनुमोदन लेना अभी बाकी (नवम्बर 2017) था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि स्मारक अवसरों पर कर्मचारियों को नकद/वस्तु में पारितोषिक के भुगतान पर अलग-अलग दिशानिर्देशों को जारी करने के लिए आवश्यक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ऐसे भत्तों के भुगतान को प्रतिबीबीत करने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई जो कि डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थी।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (03 अक्टूबर 2017) बताया कि कंपनी द्वारा स्मारकों पर दिये गये पारितोषिक विद्यमान प्रथाओं और कंपनियों के जारी सामूहिक ज्ञान के अनुरूप थे। आगे

यह बताया गया कि एमओपीएनजी को प्रस्तुत किये गये आर्यल एवं गैस कंपनियों के मांग प्रस्ताव पर लिये गये पारितोषिकों के निर्णय भी उसके अनुरूप थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रोत्साहन नवम्बर 1997 में जारी डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों से बाहर थे।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा विद्यमान डीपीई दिशानिर्देशों और पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में अपने कर्मचारियों के भुगतान किया गया, किसी अपवाद के बिना लागू दिशानिर्देशों को मानने के परिणाम स्वरूप ₹25.14 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

मामले के अक्टूबर 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था;उनका उत्तर प्रतिक्षित था (फरवरी 2018)।

गेल (इंडिया) लिमिटेड

9.3 न्यूनतम कार्य योजना की पूर्णता में देरी के कारण निर्णीत हर्जाने का परिहार्य भुगतान

योजना की कमी के कारण, सह-व्यवस्था सहभागी लाईसेंस अवधि के भीतर न्यूनतम कार्य योजना को पूर्ण नहीं कर सके जिससे ₹11.31 करोड़ के निर्णीत हर्जाने का परिहार्य भुगतान हुआ।

एक संघ² जिसमें तीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) अर्थात् गेल (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान पट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक राज्य सरकार पीएसयू (गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और दो निजी फर्म जिसने राजस्थान में ब्लाक आरजे-ओएनएन-2004/1 प्राप्त किया और भारत सरकार के साथ प्रोडक्शन शेयरिंग करार में प्रवेश (2 मार्च 2007) किया। संघ ने ब्लाक के अन्वेषण के चरण-I के लिए पट्रोलियम एक्सप्लोरेट्री लाईसेंस (पीईएल) प्राप्त किया (नवंबर 2007)। संघ ने गेल (इंडिया) लिमिटेड (कंपनी) को इस एक्सप्लोरेशन ब्लाक के लिए संचालक बनाया था।

² गैल ने भागीदारी हिस्सा (पीआई) 22.225 प्रतिशत, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम 22.225 प्रतिशत के पीआई के साथ, और अन्य जेवी सहयोगी अर्थात् एचपीसीएल 22.22 प्रतिशत पीआई के साथ, बीपीसीएल 11.11 प्रतिशत के साथ, हालबोर्दी शिपिंग लिमिटेड 11.11 प्रतिशत के साथ और नितिन कापर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11.11 प्रतिशत के साथ अभिसंघ का गठन किया।

पीएससी के अनुसार, संघ को न्यूनतम कार्य योजना के अन्तर्गत संपूर्ण करार क्षेत्र को कवर करते हुए 8 किमी. x 8 किमी. के ग्रिड आकार में 2 डी भूकंप संबंधी एपीआई³ को पूर्ण करना अपेक्षित था। आगे, 2डी/3डी भूकंप संबंधी डाटा का पुनर्प्रसंस्करण, जीओ कैमिकल सर्वे, ग्रेविटि मैग्नेटिक सर्वे और छः कुओं की ड्रिलिंग चार वर्षों के भीतर अर्थात् 5 नवंबर 2011 तक पूर्ण किये जाने थे। तथापि, एमडब्ल्यूपी के पूर्णता के लिए छः माह तक के विस्तार को स्वीकृत किया जा सकता था।

भारत सरकार की न्यू एक्सप्लोरेशन लाईसेंस पालिसी (एनईएलपी) (अप्रैल 2006) में एक्सप्लोरेशन चरण में विस्तार के लिए पालिसी के खंड ए 1 (बी एण्ड सी) यह निर्धारित करते हैं कि हाईड्रोकार्बन के महानिदेशक द्वारा यथा निर्धारित अपूर्ण एमडब्ल्यूपी के लिए पूर्व-आंकलित निर्णीत हर्जाने (एलडी) यथा स्वीकृत 100 प्रतिशत बैंक गारंटी और 10 प्रतिशत नकद भुगतान के प्रस्तुतीकरण के अध्यक्षीन अतिरिक्त छः माह (दूसरा विस्तार) का समय विस्तार दिया जा सकता है। हाईड्रोकार्बन के महानिदेशक द्वारा यथा निर्धारित अपूर्ण एमडब्ल्यूपी के लिए पूर्व-आंकलित निर्णीत हर्जाने (एलडी) यथा स्वीकृत 100 प्रतिशत बैंक गारंटी और 30 प्रतिशत नकद भुगतान के प्रस्तुतीकरण के अध्यक्षीन 12 माह से अधिक और 18 माह तक पर (तीसरा विस्तार) विचार किया जा सकता है।

कंपनी ने वायू (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, की धारा 21 के अनुसार उद्यम स्थापित करने के लिए सहमति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन किया। आरएसपीसीबी ने इसमें विभिन्न कमियां बताई (7 जुलाई 2010) यथा प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग आवेदन के स्थान पर विभिन्न स्थानों के अन्तर्गत आने वाले सभी 6 एक्सप्लोरेट्री ड्रिलिंग कुओं के लिए सामान्य आवेदन अपेक्षित शुल्क का गैर-प्रस्तुतीकरण, पूंजीगत निवेश के साक्ष्य की कमी, भूमि आवंटन पत्र, पर्यावरण मंजूरी के साथ अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता और केन्द्रिय भूजल प्राधिकरण से सुरक्षित निकासी में सहायता हेतु कच्चे जल के स्रोत की जानकारी। कुछ अपेक्षित दस्तावेजों को अगस्त 2010 से सितंबर 2010 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। शेष दस्तावेज अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क के साथ जनवरी 2011 से फरवरी 2011 के दौरान प्रस्तुत किये गये थे। आरएसपीसीबी ने देखा (मार्च 2011) कि कंपनी ने एक साईट पर ड्रिलिंग के लिए योजना की अनुमानित लागत की पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया था, सक्षम अधिकारी का भूमि रूपांतरण पत्र, हानिकारक पदार्थ आदि के निपटान के माध्यम के बारे में सूचना। अन्त में, कंपनी ने 11 अप्रैल 2011 को सभी अपेक्षित दस्तावेजों/शुल्कों को जमा किया और आरएसपीसीबी ने 27 अप्रैल 2011 को सीटीई स्वीकृत किया।

³ डाटा के अभिग्रहण, प्रसंस्करण और विवेचना।

संघ ने नवंबर 2011 तक पांच कुओं की ड्रिलिंग के अलावा एमडब्ल्यूपी के अन्तर्गत सभी प्रतिबद्ध कार्यों को पूर्ण किया। इसके बाद, पीएससी और नई विस्तार नीति (एनईएलपी) के प्रावधानों के अनुरूप 5 मई 2017 तक प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए तीन⁴ विस्तारों की मांग की। संघ ने 6.947 मिलियन⁵ यूएसडी की बैंक गारंटी सहित महानिदेशक हाईड्रोकार्बन (डीजीएच) को अपूर्ण एमडब्ल्यूपी के लिए एलडी के प्रति ₹5.65 करोड़⁶ (₹3.63 करोड़⁷ के सीपीएसईज के भाग सहित) भागीदारी ब्याज के शेयर के अनुसार प्रदत्त किया। कंपनी ने चौथे विस्तार के लिए छः माह की अतिरिक्त अवधि के लिए आवेदन किया किन्तु पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। संघ 5 मई 2013 तक लाईसेंस अवधि के तीसरे विस्तार की समाप्ति पर केवल चार कुओं की ड्रिलिंग कर सका और 5वें कुएं की आंशिक रूप से अर्थात् लक्षित गहराई 1100 फीट के प्रति 334 मीटर तक ही ड्रिलिंग की थी पांचवे कुएं में 766 मीटर और छठे कुएं में 1200 मीटर की गहराई की अपूर्ण एमडब्ल्यूपी थी। प्रतिबद्ध गहराई के प्रति दो कुओं की अपूर्ण एमडब्ल्यूपी को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने पुनः 5 मई 2013 के बाद ड्रिलिंग और टैस्टिंग ऑपरेशनों को जारी रखने के लिए अनुमति की मंजूरी के लिए डीजीएच से अनुरोध किया (1 मई 2013)। तथापि, डीजीएच ने अनुमति देने के लिए मना कर दिया (10 मई 2013) क्योंकि ना तो पीएससी में और ना ही एनईएलपी में चौथे विस्तारण के लिए कोई प्रावधान था। लेकिन संघ ने 5वें कुएं की ड्रिलिंग को जारी रखा और 2 जून 2013 को इसे पूर्ण किया। तथापि, डीजीएच ने अपूर्ण एमडब्ल्यूपी के प्रति एलडी की परिकल्पना के लिए केवल 5 मई 2013 तक के कार्य पर ही विचार किया। तदनुसार, तीन सीपीएसई ने ₹7.68 करोड़ (गेल ₹3.03 करोड़, एचपीसीएल ₹3.16 करोड़ और बीपीसीएल ₹1.49 करोड़) अपूर्ण एमडब्ल्यूपी के लिए एलडी के प्रति प्रदत्त किये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक्सप्लोरेशन कार्यकलाप समय सीमाबद्ध थे और प्रतिबंधित एमडब्ल्यूपी को परिभाषित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। तथापि संघ ने जीओ कैमिकल सर्वे और ग्रेविटी मैगनेटिक सर्वे, भूंकप संबंधी डाटा विश्लेषण की पूर्णता के लिए तकरीबन संपूर्ण चार वर्षों की लाईसेंस अवधि को ले लिया। पहले कुएं की ड्रिलिंग जून 2011 में आरंभ हुई जिसके परिणामस्वरूप, केवल एक कुएं की ड्रिलिंग लाईसेंस अवधि अर्थात् 5 नवंबर 2011 तक पूर्ण की जा सकी। आगे, मूल आवेदन के साथ-साथ अपेक्षित दस्तावेज/शुल्क के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण आरएसपीसीबी से सीटीई की प्राप्ति ने अधिक

⁴ सितंबर 2011, सितंबर 2012, और दिसंबर 2012

⁵ यूएसडी शून्य+यूएसडी 4.328 मिलियन + यूएसडी 2.619 मिलियन = यूएसडी 6.947 मिलियन.

⁶ ₹शून्य + ₹2.35 करोड़ + ₹3.30 करोड़ = ₹5.65 करोड़

⁷ ₹1.45 करोड़ (गेल) + ₹1.45 करोड़ (एचपीसीएल) + ₹0.73 करोड़ (बीपीसीएल) = ₹3.63 करोड़

समय लिया। आगे, कंपनी ने जूलाई 2010 में उन दस्तावेजों के गैर-प्रस्तुतीकरण को आरएसपीसीबी द्वारा बताये जाने के बाद ही विभिन्न प्राधिकरणों से प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के संग्रहण के लिए कार्रवाई आरंभ की।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2017) कि मड लॉस, दो चरण में कुओं की ड्रिलिंग और 4 कुएँ की पूर्णता के बाद क्या 5वें कुएँ की ड्रिलिंग को जारी रखने अथवा रोकने का निर्णय लेने में समय लगा जिसके कारण 15 महीनों की अतिरिक्त अवधि को लिया गया था। इस प्रकार इस कुएँ के लक्ष्य को प्राप्त किये बिना परिचालन को बीच में ही समाप्त करने के द्वारा 5 मई 2013 को कुएँ की ड्रिलिंग को रोकना संभव नहीं था, विशेषकर जब समीप के कुएँ (बाजूवाला-1) में हल्का आर्यल देखा गया था। राजस्थान सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने की सहमति लेने के कारण 211 दिनों की देरी हुई और जिसके लिए क्षम्य देरी का दावा किया था। एमओपीएनजी के क्षम्य देरी के लिए स्वीकृति न देने के निर्णय को दिनांक 15 अक्टूबर 2013 के पत्र द्वारा बताया गया था।

आगे, मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन करते हुए बताया (जनवरी 2018) कि डीजीएच/एमओपीएनजी के साथ विभिन्न बैठकों के दौरान यह समझा गया कि तीसरे विस्तार से अधिक समय विस्तार के अनुरोध अर्थात: 5 मई 2013 पर अनुकूल रूप से कृपया पूर्वक विचार किया जाएगा क्योंकि हल्का कच्चा तेल इस क्षेत्र में पहली बार खोजा गया था और गतिविधियां इस उम्मीद के साथ की गई थी कि विस्तार को अनुमत किया जाएगा।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि ईएण्ड पी व्यवसाय के साथ मड लॉस का अन्तर्निहित जोखिम संबंधित है। आगे 6 माह के प्रत्येक दूसरे और तीसरे विस्तार को केवल एलडी के भुगतान पर स्वीकृत किया गया था और 18 माह से अधिक लाईसेंस अवधि के विस्तार के लिए ना तो पीएससी में और न ही एनईएलपी में कोई प्रावधान था। जहां तक आरएसपीसीबी से सीटीई लेने में क्षम्य देरी संबंधित है, डीजीए, ने अगस्त 2012 में सूचित कर दिया था कि एमओपीएनजी द्वारा इस कारण से क्षम्य देरी का अनुमोदन नहीं दिया गया था।

इस प्रकार योजना की कमी और सीटीई लेने के लिए औपचारिकताओं के साथ अनुपालन में देरी के कारण संघ एमडब्ल्यूपी को पूर्ण नहीं कर सका और इसलिए तीन सीपीएसई को निर्णीत हर्जानों के प्रति ₹11.31 करोड़ का अपरिहार्य व्यय करना पड़ा।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

9.4 जल की अत्याधिक निकासी पर उपकर का परिहार्य भुगतान

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाख रिफाईनरी ने पुरी मात्रा में एक साथ निकासी करने के स्थान पर चरणबद्ध ढंग में तीन जलाशयों से रिफाईनरी द्वारा आपेक्षित जल को निकालने का निर्णय लिया। फलस्वरूप, एक जलाशय से जल के अत्याधिक निकासी पर उदग्रहित उपकर के कारण ₹7.07 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की विशाख रिफाईनरी ग्रेटर विशापटनम नगर निगम (जीवीएमसी) के तीन जलाशयों अर्थात्, रायवाडा (12 एलआईजीडी) मेघाडरीगेड्डा (15 एलआईजीडी) और थाटीपुडी (6 एलआईजीडी) से 33 लाख इम्पीरीअल गैलन⁸ जल प्रतिदिन (एलआईजीजी) की निकासी कर रहा था। तीन अलग-अलग करार तीन जलाशयों से जल की आपूर्ति के लिए जीवीएमसी के साथ किये गये थे (सितंबर 2013)। ये करार 31 मार्च 2017 तक प्रभावी थे। प्रत्येक करार की शर्तों के अनुसार, जीवीएमसी ने जल का ₹36 प्रति किलो लीटर (केएल) वसूल किया जिसे दिसंबर 2015 से ₹60 प्रति किलो लीटर बढ़ा दिया गया था। एचपीसीएल प्रत्येक करार के अन्तर्गत स्वीकृत मात्रा के 60 प्रतिशत के न्यूनतम प्रभार के भुगतान के लिए बाध्य था अथवा वास्तविक मात्रा जो भी अधिक थी। जल की कोई अत्यधिक निकासी स्वीकृत दरों के 100 प्रतिशत पर उपकर के भुगतान के परिणामस्वरूप होगी।

रिफाईनरी की नयी परियोजना अर्थात् डीज़ल हाइड्रोट्रीटर और फल्यू गैस डीसल्फराइज़ेशन (एफजीडी) इकाई 1 और 11 जो स्थापना की प्राथमिक स्तर पर थी, के लिए जल की अतिरिक्त आवश्यकता का आरंभ में 16 एलआईजीडी पर मूल्यांकन किया गया था। तदनुसार, पुंजीगत योगदान प्रभारों के भुगतान और अग्रिम जल प्रभारों के भुगतान पर अतिरिक्त जल की आपूर्ति के लिए जीवीएमसी की सहमति ली गई थी (अगस्त 2011) तथापि, 33 एलआईजीडी से 45 एलआईजीडी तक कुल जल आवश्यकताएं बढ़ने के साथ 16 एलआईजीडी के स्थान पर 12 एलआईजीडी⁹ अतिरिक्त आवश्यकताओं का पुनः मूल्यांकित किया गया (जून 2013) था। तदनुसार, रिफाईनरी की बड़ी परियोजनाएं के लिए कार्यकारी समिति (ईसीएमपी) ने जल की अतिरिक्त 12 एलआईजीडी को लेने के लिए जीवीएमसी के साथ जल आपूर्ति करारों को करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित किया (फरवरी 2014)।

⁸ एक इम्पीरिअल गैलन 4.54609 लिटर के समान्तर है

⁹ मेघाडरीगेड्डा से 6 एलआईजीडी, थाटीपुडी से 4 एलआईजीडी और रायवाडा से 2 एलआईजीडी

तथापि, प्रबंधन ने बाद में मेघाडरीगेड्डा जलाशयों से 6 एलआईजीडी की प्रारंभिक बढ़ोतरी के साथ चरणबद्ध ढग से स्वीकृत मात्राओं बढ़ाने के लिए निर्णय लिया (दिसंबर 2014) इस आधार पर कि थाटीपुडी और रायवाड़ा लाइनों पर प्रमुख मरम्मतों को किया जाना अपेक्षित था जिसमें समय लगेगा। तदानुसार, रिफाईनरी ने जीवीएमसी के साथ करारों को मार्च 2015 से 31 मार्च 2017 तक मेघाडरीगेड्डा जलाशय के संबंध में 15 एलआईजीडी से 21 एलआईजीडी जल की स्वीकृत मात्रा को बढ़ाने के लिए संशोधित किया।

मार्च 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान, थाटीपुडी जलाशय, से 28.85 लाख केएल के जल की अत्याधिक निकासी के कारण उपकर के प्रति ₹14.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक साथ संपूर्ण मात्रा की निकासी के स्थान पर चरणबद्ध ढग से जल की आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए प्रबंधन का निर्णय निम्नलिखित के कारण वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित नहीं था।

- क) मार्च 2015 से मार्च 2017 के दौरान, एक साथ सभी जलाशयों से निकाली गयी जल की वास्तविक मात्रा 38.48 एलआईजीडी से 48.02 एलआईजीडी के मध्य थी। इसे सभी तीनों जलाशयों के लिए व्यक्तिगत रूप से ली गई स्वीकृत मात्रा के 60 प्रतिशत की न्यूनतम शुल्क योग्य मात्रा से अधिक गठन किया गया। इसके अतिरिक्त विचाराधीन 25 महीनों में से 20 महीनों में, वास्तविक निकासी बढ़ाई गई 39 एलआईजीडी की मात्रा के प्रति 40 एलआईजीडी से अधिक थी।
- ख) मार्च 2015 से मार्च 2017 के दौरान मेघाडरीगेड्डा जलाशय से रिफाईनरी द्वारा जल निकालने का प्रतिशत 21 एलआईजीडी की बढ़ाई गई मात्रा की 70 प्रतिशत से लेकर 92 प्रतिशत तक थी; इस प्रकार, जलाशय से बढ़ाये गये जल की मात्रा का लाभ नहीं उठाया गया।
- ग) मार्च 2015 में जीवीएमसी के साथ करार के संशोधन करने के समय, रिफाईनरी एलआईजीडी की स्वीकृत मात्रा की अधिकता में जल की निकासी के कारण थाटीपुडी जलाशय से जल निकासी के लिए पहले ही उपकर का भुगतान कर रही थी। दिसंबर 2014 से फरवरी 2015 के दौरान, रिफाईनरी ने इस जलाशय से स्वीकृत मात्रा की अधिकता में 1.98 लाख केएल के जल को निकाला और ₹71.53 लाख का उपकर दिया।

घ) उपचारात्मक उपायों जैसे कि अनुभागीय लाईन और वायु वाल्व प्रतिस्थापन आदि के परिणामस्वरूप, 2013-14 और 2014-15 के वर्षों के दौरान वहां थाटीपुडी जलाशय से 2014-15 से जल आपूर्ति मात्रा में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई थी। इसे आगे तथ्यों द्वारा मंडित किया गया है कि 6 एलआईजीडी की स्वीकृत मात्रा के प्रति थाटीपुडी जलाशय से मार्च 2015 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 9.21 एलआईजीडी से लेकर 18.58 एलआईजीडी के मध्य जल की वास्तविक निकासी हुई थी।

रिफाईनरी बढ़ाई गई मात्रा के लिए प्रदत्त ₹14.90 करोड़ के उपकरण में से ₹7.07 करोड़ (अनुबंध-X) के उपकरण को बचा सकती थी यदि यह मेघाडरीगेड्डा जलाशय से केवल 6 एलआईजीडी निकासी करने के स्थान पर 12 एलआईजीडी¹⁰ की कुल अतिरिक्त जल आवश्यकता की निकासी एक साथ सभी तीनों जलाशयों से करती (जैसा कि ईसीएमपी द्वारा अनुमोदित किया गया था)। जल जिसे थाटीपुडी जलाशय से निकला जा सकता इस प्रबंधन में 6 एलआईजीडी के स्थान पर 10 एलआईजीडी होता।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2017) कि चरणों में जल की मात्रा बढ़ाना विवेकपूर्ण था क्योंकि डीएचटी सुविधाएं अभी आरंभ हुई थी और उनके परिचालन स्थिरीकरण के अन्तर्गत थे। थाटीपुडी और रायवाडा जलाशय सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए थे और पानी की कमी के मामले में, प्राथमिकता सार्वजनिक वितरण को दी जाएगी और बल्क आपूर्ति बन्द कर दी जाएगी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह जीवीएमसी के साथ सभी करारों में एक सामान्य शर्त थी कि यदि उपचारित जल की किसी प्रकार की कमी होगी तो सर्वजन को पीने के पानी की आपूर्ति को ही स्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

मंत्रालय ने बताया (नवंबर 2017) कि पुंजीगत योगदान प्रभारों (सीसीसी) में ₹6.82 करोड़ की बचत और अग्रिम उपयोग प्रभारों (एसीसी) में ₹1.80 करोड़ की बचत विचार करते हुए, यह डीएचटी सुविधाओं के लिए ठीक अतिरिक्त जल आवश्यकताओं पर अनिश्चितता के कारण जो मूल रूप से थी 6 एलआईजीडी के द्वारा करार मात्रा बढ़ाने के लिए विवेक पूर्ण विचार था अतिरिक्त 6 एलआईजीडी के लिए ₹8.62 करोड़ की राशि के सीसीसी और एसीसी का भुगतान निष्फल हो गया होता यदि वास्तविक अतिरिक्त उपयोग 12 एलआईजीडी से कम होता।

¹⁰ मेघाडरीगेड्डा से 6 एलआईजीडी, थाटीपुडी से 4 एलआईजीडी और रावाडा से 2 एलआईजीडी

मंत्रालय द्वारा अग्रिम औचित्य कंपनी के रिकार्डों में उद्धृत नहीं पाया गया था। आगे, मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जल के अतिरिक्त 6 एलआईजीडी के लिए ₹8.62 करोड़ के सीसीसी और एसीसी को बचाया नहीं गया था लेकिन केवल अप्रैल 2017 में अगले चरण को बढ़ाने के लिए स्थागित कर दिया था। चूंकि एसीसी भाग प्रतिदाय योग्य था, कंपनी केवल चरणबद्ध बढ़ोतरी के लिए विकल्प द्वारा सीसीसी भाग पर ₹1.16 करोड़¹¹ की राशि के ब्याज को बचा सकती थी। आगे, कंपनी ने मार्च 2015 में ₹25,000 प्रति केएल की प्रचलित दर के प्रति ₹30,000/- प्रति केएल पर बढ़ाई गई दर पर ₹1.36 करोड़ की सीसीसी का अतिरिक्त व्यय किया। इस प्रकार, कंपनी को दो चरणों अर्थात् एक मई 2015 में और दूसरा अप्रैल 2017 में निकासी के स्थान पर मई 2015 में 12 एलआईजीडी की बढ़ी हुई मात्रा के लिए करार करते हुए और अधिक लाभ होता।

9.5 छूट/प्रोत्साहन के प्रति मै. हरेश एजेन्सी को ₹17.93 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

एचपीसीएल ने अपने पुनर्विक्रेता मै. हरेश एजेन्सी को छूट बढ़ाते हुए और अपनी नितियों के उल्लंघन में छूट के भाग के रूप में क्रेडिट लागत को शामिल करने के द्वारा अतिरिक्त भुगतान किया। कंपनी ने छूट की हकदारी का निर्धारण करते समय, ऐसी स्लेब के अधीन शामिल बिक्रीयों की मात्रा के लिए प्रत्येक स्केल के अन्तर्गत स्वीकार्य पात्र छूटों के कुल के स्थान पर 2015-16 में प्राप्त भट्टी तेल (एफओ) तथा हल्के डीजल तेल (एलडीओ) की बिक्रीयों की कुल मात्रा के सुसंगत उच्चतम स्केल को अपनाया।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने मै. हरेश एजेन्सी को भट्टी तेल (एफओ) और हल्के डीजल तेल (एलडीओ) की बिक्री के लिए अपने पुनः विक्रेता के रूप में नियुक्त किया (1977)। पुनः विक्रेताओं को उच्च बिक्री मार्जिन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने पुनः विक्रेताओं द्वारा उठाए गये उत्पादों की मात्रा के आधार पर छूट को बढ़ा दिया, पुनः विक्रेता, कंपनी द्वारा सीधे रूप से आपूर्तित ग्राहक के लिए लागू छूट के 70 प्रतिशत की दर पर छूट के लिए योग्य थे। पुनर्विक्रेता के लिए कोई क्रेडिट नहीं बढ़ाया जाना था।

कंपनी ने पुनर्विक्रेता द्वारा उठाई गई मात्रा पर स्लेब वार छूट योजना को वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तुत किया (अप्रैल 2015) स्लेब-वार छूट दरे अक्टूबर 2015 में संशोधित की गई थी जिन्हे नीचे दर्शाया गया है।

¹¹ अप्रैल 2015 में प्रचलित ब्याज की अधिकतम दर पर आधारित ₹6.82 करोड़ x 8.5% x 2 वर्ष।

एफओ मात्रा/वार्षिक हजार मिट्टिकटन	क्रेडिट लागत ₹250 प्रति एमटी सहित पुनर्विक्रेता की छूट	एलडीओ किलो लीटर प्रति वर्ष	क्रेडिट लागत ₹250 प्रति के एल सहित पुनर्विक्रेता की छूट
6 तक	425	100 तक	425
6 से अधिक 12 तक	600	100 से अधिक 500 तक	600
12 से अधिक 25 तक	775	500 से अधिक 1500 तक	775
25 से अधिक 50 तक	950	1500 से अधिक 5000 तक	950
50 से अधिक 75 तक	1125	5000 से अधिक 10000 तक	1125
75 से अधिक 100 तक	1300	10000 से अधिक 15000 तक	1300
100 से अधिक 125 तक	1475	15000 से अधिक	1475
125 से अधिक 150 तक	1650		
150 से अधिक 175 तक	1825		
175 से अधिक	2000		

कंपनी ने भट्टी तेल के 174335 एमटी की कुल मात्रा पर छूट के प्रति ₹34.86 करोड़ और वर्ष 2015-16 के दौरान में हरेश एजेन्सी पुनर्विक्रेता द्वारा उठाये गये हल्के डीजल तेल के 18447 केएल की कुल मात्रा पर ₹2.73 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने भुगतानों का विश्लेषण किया और निम्न के रूप में दर्शाया।

(क) पुनर्विक्रेता ने वित्त वर्ष (एफ.वाई) 2015-16 के दौरान एफओ के 174335 एमटी को उठाया। ऐसी विभक्त स्लेब के अन्तर्गत आने वाली मात्रा के लिए प्रत्येक स्लेब के अन्तर्गत स्वीकार्य एकत्र कुल योग्य छूट के बाद देय कुल छूट पर पहुंचने के स्थान, पर कंपनी ने पुनर्विक्रेता द्वारा उठाई गई संपूर्ण मात्रा पर उठाई गई कुल मात्रा के लिए लागू छूट दर को आवेदन करने के द्वारा स्वीकार्य कुल छूट पर परिकलित किया गया है। यदि छूट को एकत्र करने के द्वारा परिकलित किया था तो ऐसे स्लेब के लिए संबंधित मात्रा के लिए प्रत्येक विभक्त स्लेब के अन्तर्गत योग्य छूट थी। पुनर्विक्रेता, द्वारा उठाये गये एफओ के 174335 एमटी के लिए केवल ₹22.31 करोड़ की कुल छूट के लिए पुनर्विक्रेता योग्य था (अनुबंध-XI) इस प्रकार, वि. वर्ष 2015-16 के दौरान उठाये गये एफओ के लिए ₹12.55 करोड़¹² को अतिरिक्त छूट राशि को पुनर्विक्रेता को स्वीकृत किया गया था।

¹² ₹34,86,70,000 (-) ₹22,31,36,375 = ₹12,55,33,625.

(ख) पुनर्विक्रेता ने वि.वर्ष 2015-16 के दौरान एलडीओ के 18,497 केएल को उठाया। ऐसी स्लेब से संबंधित मात्राओं के लिए प्रत्येक विभक्त स्लेब के अन्तर्गत लागू छूट को एकत्र करने के बाद कुल देय छूट पर पहुंचने के स्थान पर, कंपनी ने पुनर्विक्रेता द्वारा उठाई गई संपूर्ण मात्रा पर उठाई गई कुल मात्रा के लिए लागू छूट दर को आवेदन करने के द्वारा स्वीकार्य कुल छूट पर परिकलित किया गया है। यदि छूट को एकत्र करने के द्वारा परिकलित किया था तो ऐसे स्लैब के लिए संबंधित मात्रा के लिए प्रत्येक विभक्त स्लेब के अन्तर्गत छूट योग्य थी। पुनर्विक्रेता, द्वारा उठाये गये एफओ के 174335 एमटी के लिए केवल ₹2.17 करोड़ की कुल छूट के लिए पुनर्विक्रेता योग्य था (अनुबंध-XI) इस प्रकार, वि. वर्ष 2015-16 के दौरान उठाये गये एफओ के लिए ₹0.56 करोड़¹³ को अतिरिक्त छूट राशि को पुनर्विक्रेता को स्वीकृत किया गया था।

(ग) वर्ष 2015-16 के लिए कार्य योजना अनुसार, कंपनी के एचक्यू स्ट्रैजिक बिजिनेस यूनिट- डाईरेक्ट सेल- (एसबीयू-डीएस) द्वारा अप्रैल 2015 में बिजिनेस टाई-अप जारी किये गये जिसमें केवल प्रत्यक्ष ग्राहक ही क्रेडिट सुविधा के लिए योग्य थे, जिसकी कीमत ₹250/- प्रति एमटी/केएल के रूप में निर्धारित थी। नीति पुनर्विक्रेता को क्रेडिट सुविधा देने की अनुमति नहीं देती है। तथापि कंपनी ने उठाई गई मात्रा के प्रत्येक स्लैब के अन्तर्गत पुनर्विक्रेता को देय छूट की दर का निर्धारण करते समय ₹250 प्रति एमटी की दर पर क्रेडिट कीमत को शामिल किया। मैं. हरेश एजेंसी को वर्ष 2015-16 के लिए देय कुल छूट को परिकलित करते समय क्रेडिट कीमत को शामिल करने के कारण ₹4.82 करोड़ के अनूचित छूट के स्वीकृत किया जिसे नीचे दर्शाया है:

मद	वास्तविक बिक्री की कीमत		क्रेडिट कीमत (₹ में)	क्रेडिट कीमत के कारण अतिरिक्त भुगतान (₹ में)
एफओ	1,74,334.85 एमटी		250	4,35,83,712.50
एलडीओ	18,496.50 केएल		250	46,24,125.00
कुल				4,82,07,837.50

(घ) उठाये गये संपूर्ण मात्रा के लिए उच्च स्लैब पर देय छूट को परिकलित करते समय, कंपनी ने गलत स्लैब दर को अपनाया। एफओ के 174335 एम की बिक्री की कीमत के लिए स्लैब लागू था स्लैब ब्रेकेट '15000 एमटी से 175000 एमटी' तक था और इस स्लैब के संबंध में पुनर्विक्रेता ₹1825/- प्रति एमटी की दर पर छूट के लिए योग्य था। तथापि, कंपनी ने 175000 एमटी और उससे अधिक के संबंधित स्लैब में

¹³ ₹,72,83,075 (-) ₹,16,65,575 = ₹,56,17,500.

बिक्री को कीमत के लिए लागू ₹2000/- प्रति एमटी की दर को लागू किया गया। इस प्रकार लागू करते समय भी बिक्रीयों की कुल कीमत के लिए छूट को प्राप्त किया, कंपनी द्वारा अपनाये गये ढग में, विक्रेता को वर्ष 2015-16 के दौरान पुनर्विक्रेता द्वारा उठाये गये 174335 एमटी पर ₹175 प्रति एमटी की दर पर उच्च छूट को स्वीकृत किया। इस आधार पर ₹3.05 करोड़ की अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) जो निम्न प्रकार से है।

- 1) उच्च छूट दरों के लिए अनुमोदन मांगते समय, बिक्री के लिए निवल मार्जिन बनाए रखा था जिसे उच्च स्लैब दर पर बिक्रीयों की कुल कीमत के लिए लागू प्रोत्साहन पर विचार करने के बाद परिकल्पित किया गया था। और ऐसे स्लैबो के अन्तर्गत आने वाली बिक्रीयों की कीमत के लिए प्रत्येक विभक्त स्लैब के अन्तर्गत देय एकत्रित भुगतानों के आधार पर नहीं था। अतः यह स्पष्ट है कि छूट/मार्जिन के अपक्षरण को अनुमोदन देते समय प्रबंधन का आशय पूर्ण मात्राओं पर प्रोत्साहन को बढ़ाना था विभक्त छूट के स्लेब वार आधार पर नहीं।
- 2) पुनर्विक्रेताओं के बिजनेस के आकार पर विचार करते हुए पुनर्विक्रेता को छूट में ₹250 की क्रेडिट लागत शामिल की गई थी। डीलर को आरटीजीएस¹⁴ और दो दिनों के क्रेडिट अर्थात् 1 अगस्त 2013 से संव्यवहार तिथि और भुगतान के लिए दो दिन के माध्यम से भुगतान को बदलने के निर्देश भी दिये थे। स्ट्रैटिजिक बिजनेस यूनिट (एसबीयू) क्रेडिट समिति ने इन क्रेडिट शर्तों को जूलाई 2013 की बैठक में अनुमोदन दिया। आगे, इस क्रेडिट सुविधा ने बैंक द्वारा भुगतान से किसी अतिरिक्त लागत में कोई परिणाम नहीं दिया जो भुगतान के लिए अनुमोदित सुविधा के अन्तर्गत स्वीकार्य थी जिस मामले में कंपनी बैंक की निकासी के बाद ही भुगतान प्राप्त करेगी। तथापि, कंपनी, आरटीजीएस माध्यम से उसी दिन पर भुगतान प्राप्त कर रही थी।

उत्तरों को निम्नलिखित तथ्यों के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है।

- i. वर्ष 2014-15 के दौरान औसत निवल मार्जिन बनाए रखा जो एफ-ओ के मामले में नकारात्मक था और एलडीओ के लिए मार्जिन ₹2250 था। कुल मार्किट मार्जिन (लाभांश योगदान) (-) ₹10.05 करोड़ लगभग नकारात्मक था। कंपनी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए संशोधित छूट के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय वर्ष

¹⁴ रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) फंड हस्तांतरण का एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जहां तत्काल आधार पर संव्यवहार किया जाता है।

2015-16 के लिए निवल बनाए रखे मार्जिन आकलन को दर्शाता है। जो एफओ के लिए ₹375 प्रति एमटी और एलडीओ के लिए ₹4250 प्रति केएल जिससे कुल ₹13.120 करोड़ के सकारात्मक मार्जिन को बनाए रखा। तथापि, प्रस्ताव को कुल बनाए रखे मार्जिन के विस्तृत परिकलन के लिए शामिल नहीं किया था और इस वजह से, वहां अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में कुल बनाए रखे मार्जिन की गणना के प्रकार का कोई प्रकटीकरण नहीं था।

कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार ही देय छूट की गणना करते समय जिसमें गलत स्लैब से संबंधित दर को अपनाया गया था। पुनर्विक्रेता 174335 एमटी की बिक्री के लिए केवल ₹1825/- प्रति एमटी की दर पर छूट के लिए योग्य था ना कि संपूर्ण मात्रा पर ₹2000/- प्रति एमटी की दर पर।

- ii. 3 अप्रैल 2015 को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव यह भी निर्दिष्ट करता है कि स्लैब-वार छूट और प्रोत्साहन योजना की सिफारिश की जा रही थी और प्रस्तावों को तालिका बनाने के भाग में छूट की दर को सूचित करने के साथ स्लैब वार मात्राओं के प्रस्ताव में शामिल किया गया। इस प्रकार, इसका निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 3 अप्रैल 2015 और 31 अक्टूबर 2015 (संशोधित) को प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के लिए अनुमोदन पुनर्विक्रेता द्वारा उठाई गई संपूर्ण मात्रा के लिए लागू कुल बिक्रियों के लिए भुगतान की परिकल्पना की गई।
- iii. प्रबंधन का तर्क यह है कि क्रेडिट सुविधा के परिणामस्वरूप कोई भी अतिरिक्त लागत स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रेडिट लागत के भुगतान के प्रति कंपनी के लिए नकदी का वहिर्गमन शामिल है और कंपनी की सीधी बिक्री- कार्यकारी निदेशक द्वारा 27 अप्रैल 2015 को परिचालित नीति के विरुद्ध थी।

इस प्रकार कंपनी ने अपने पुनर्विक्रेता में, हरेश एंजेसी द्वारा बढ़ाई गई छूटों और क्रेडिट लागत को अपनी नीति के उल्लंघन में इस छूट को शामिल करने के द्वारा ₹17.93 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।

मामलें को जनवरी 2018 में मंत्रालय को सूचित किया गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित था। (फरवरी 2018)।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

9.6 एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य की गलत घोषणा के कारण आरजीजीएलवी उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने आरजीजीएलवी वितरकों को एलपीजी की खुदरा बिक्री मूल्यों को सूचित करते समय डिलीवरी प्रभारों को नहीं निकाला था, जिस के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ा और ₹280.45 करोड़ की राशि तक का आरजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटर्स को अनुचित लाभ मिला।

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी) योजना को एलपीजी का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश बढ़ाने के क्रम में छोटे आकार की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरण एजेन्सियों की स्थापना के उद्देश्य के साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएण्डएनजी) द्वारा (6 अगस्त 2009) आरंभ किया गया था। योजना के अनुसार, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स (वितरक) प्रति माह 600 रिफिल की बिक्रियों की क्षमता वाले ग्रामीण स्थानों पर परिचालन करने के लिए थे। वितरक प्राधिकृत एलपीजी गोडाऊन से खुदरा बिक्री मूल्य¹⁵ पर नकद तथा वहन के आधार पर ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेन्डर (भार-14.2 किग्रा) की आपूर्ति करेंगे और ग्राहक के घर तक एलपीजी सिलेन्डर को डिलिवर करने के लिए आपेक्षित नहीं होंगे।

एमओपीएनजी ने समय समय पर सिलेन्डरो की रिफिलिंग करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को देय कमीशन को संशोधित किया और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन की उसी दर को आरजीजीएलवी योजना के अन्तर्गत डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी लागू किया। एमओपीएचएनजी ने डिस्ट्रीब्यूटर के कमीशन को ₹37.25¹⁶ प्रति सिलेन्डर तक बढ़ाया (अक्टूबर 2012) और दो भागों में विभाजित किया अर्थात् स्थापना लागत ₹22.25 और डिलीवरी प्रभार ₹15.00। यह भी स्पष्ट किया गया था कि जो ग्राहक डिस्ट्रीब्यूटर्स के परिसर से सीधे तौर पर सिलेन्डर लेगा उससे डिलीवरी प्रभारों को नहीं लिया जाएगा।

भारत के सीएजी की 2017 की रिपोर्ट न. 9 के पैरा 10.3 में यह देखा गया कि बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अपने आरजीजीएलवी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आरएसपी सूचित करते समय

¹⁵ आरएसपी वह कीमत है जिस पर ओएमसी विनियमित उत्पादों को ग्राहकों को बेचती है जिसे एमओपीएचजी द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिसमें सभी करो के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का 'कमीशन' भी शामिल होता है।

¹⁶ बाद में, 2013 दिसंबर में ₹40.71 अक्टूबर 2014 में ₹44.06, दिसंबर 2015 में ₹45.83 करोड़ और अक्टूबर 2016 ₹47.48, (क्रमशः ₹16.47, ₹18, ₹18.50 और ₹19 डिलीवरी प्रभारों के प्रति) को संशोधित किया।

डिलीवरी प्रभारों को नहीं हटाया जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों पर अतिरिक्त भार पड़ा और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ₹168.04 करोड़ तक का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी अपने आरजीजीएलवी योजना के वितरकों को आरएसपी सूचित करते समय डिलीवरी प्रभारों को नहीं निकाला हालांकि डिस्ट्रीब्यूटर्स आरजीजीएलवी ग्राहकों के घर पर सिलेन्डर की डिलीवरी देने के लिए अपेक्षित नहीं थे परिणामस्वरूप, वितरकों ने अपने कमीशन के भाग के रूप में डिलीवरी प्रभारों को इकट्ठा किया हालांकि उन्होंने ग्रामीण ग्राहकों के घरों तक एलपीजी सिलेन्डर की डिलीवरी नहीं की थी। अक्टूबर 2012 से मार्च 2017 की अवधि में, कंपनी के वितरकों ने डिलीवरी प्रभारों रूप में ₹280.45 करोड़ का अनुचित लाभ प्राप्त किया।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2017) कि अक्टूबर 2012 में एमओपीएण्डएनजी द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन को द्विभाजित किए जाने कारण ऑयल इंडस्ट्री ने डिलीवरी शुल्क की प्रयोज्यता पर तत्कालीन आरजीजीएलवी के ग्राहकों को पास किये जाने पर विचार किया था और यह तय किया गया था कि मौजूदा प्रथा जारी रहेगी और वितरक, ग्राहकों के लिए किसी भी छूट के बिना, स्थापना प्रभार और साथ ही डिलीवरी प्रभारों के हकदार होंगे। इसके अलावा, यदि डिलीवरी शुल्क को आरजीजीएलवी के वितरकों को प्राप्त करने की अनुमति न दी जाती तो यह उनके लिए व्यवहार्य नहीं होगा।

कंपनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनओपीएण्डएनजी, ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन को संशोधित करते समय (अक्टूबर 2012), स्पष्ट रूप से बताया था कि डिलीवरी प्रभारों को उन ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के परिसर से सीधे सिलेन्डर लेते हैं।

अतः उद्योग द्वारा निर्णय लिया गया, जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया था, कि आरजीजीएलवी ग्राहकों से डिलीवरी प्रभारों के साथ-2 स्थापना प्रभारों को वसूल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अनुमति देना, एमओपीएण्डएनजी के आदेशों के विरुद्ध था।

इस प्रकार, डिलीवरी सेवाओं का लाभ नहीं उठाने वाले ग्रामीण ग्राहकों से डिलीवरी प्रभारों सहित संपूर्ण डिस्ट्रीब्यूटर्स के कमीशन को वसूल करने के लिए आरजीजीएलवी योजना के वितरकों को अनुमति देकर, कंपनी ने वितरकों के अनुचित लाभ पहुँचाया जिसके परिणामस्वरूप ₹280.45 करोड़ (अक्टूबर 2012 से मार्च 2017 तक) की राशि तक का आरजीजीएलवी ग्राहकों पर अतिरिक्त भार पड़ा। वितरकों को अनुचित लाभ और ग्रामीण एलपीजी ग्राहकों पर भार अभी भी जारी था (अगस्त 2017)।

मामले को अगस्त 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

9.7 निविदा के अन्तिमिकरण में ढील के कारण अतिरिक्त लागत

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाईपलाइन परियोजना की निविदा को बोली की वैधता अवधि के भीतर पूरा नहीं कर सका और पुनः निविदा करने के बाद ₹63.86 करोड़ की अतिरिक्त लागत पर कार्य दिया गया।

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने निर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तिथि से 15 माह के अनुसूचित पूर्णता समय के साथ पारादीप-हल्दिया दुर्गापुर के लिए कंपोसिट मेनलाईन एंड कन्बाइन्ड स्टेशन वर्क्स (सीएस डब्ल्यू) के लिए खुली ई-निविदा को जारी किया (26 नवंबर 2012)। कार्य दो भागों में दिया गया था अर्थात: गुप-क (ओडिसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों में पाईपलाइन और स्टेशन कार्य) और गुप-ख (पश्चिम बंगाल राज्य में पाईपलाइन और स्टेशन कार्य)। आनलाईन निविदा की अन्तिम तिथि 26 दिसंबर 2012 थी (जिसे भावी बोलीदाताओं के अनुरोध पर बाद में दो बार 14 जनवरी और 24 जनवरी 2013 तक बढ़ाया गया)। बोलियों को 24 जनवरी 2013 को खोला गया और सभी चार प्रतिभागी बोलीकर्ता गुप-क के संबंध में और गुप-ख के संबंध में टैक्नो-कर्मिशियल मूल्यांकन पर योग्य पाये गये (30 अप्रैल 2013)। प्रारंभिक रूप से बोली की वैधता 24 मई 2013 तक थी, तथापि, इसे कंपनी के अनुरोध (20 मई 2013) पर 24 जुलाई 2013 तक बढ़ाया गया। पूर्व-मूल्य बोली बैठक और योग्य बोलीकर्ताओं के साथ मोल-भाव पूरा होने के पश्चात, निविदा समिति (टीसी) ने न्यूनतम बोलीकर्ता मै. कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड (केपीटीएल) को गुप-क एवं ख के कार्य को क्रमशः ₹124.65 करोड़ और ₹128.87 करोड़ (सेवा कर सहित) पर देने की शिफारिश की। कार्य को देने के लिए अनुमोदन न मिलने के कारण, केपीटीएल से समय समय पर अपने प्रस्ताव की वैधता की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया गया। अन्तिम विस्तार 31 अगस्त 2013 तक मांगा गया था लेकिन केपीटीएल ने 29 जुलाई 2013 के पश्चात बोली की वैधता को बढ़ाने से इंकार कर दिया। चूंकि कंपनी करार को बढ़ाई गई बोली की वैधता अवधि के भीतर अन्तिम रूप नहीं दे सकी, तो यह निर्णय लिया गया (26 अगस्त 2013) कि अतिरिक्त लागत को बचाने के लिए एल 2 बोलीदाताओं से केपीटीएल के प्रस्ताव पर अपनी सहमति बनाने का अनुरोध किया जाए। तथापि दोनों एल 2 बोलीदाताओं¹⁷ ने अपने प्रस्तावित मूल्यों को कम करने से इंकार कर दिया इसलिए कंपनी ने निविदा को 30 अगस्त 2013 को निरस्त कर दिया।

बाद में कंपनी ने पाईपलाइन डालने और स्टेशनों के कार्य के कार्य को विभाजित कर दिया और दो अलग-अलग निविदाओं को आमंत्रित किया (अक्टूबर 2013)। दोनों पाईपलाइन

¹⁷ गुप- क के लिए एल 2 बोलीकर्ता मै. कजस्टोरी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा. लि. और गुप-ख के लिए एल 2 बोलीकर्ता मै. एसीई पाईपलाइन कान्ट्रैक्टस प्रा. लि.

बिछाने और स्टेशनों के कार्य को आगे ग्रुप-क (पारादीप-हल्दिया खंड) और ग्रुप ख (हल्दिया-दुर्गापुर खंड) में विभाजित कर दिया। न्यूनतम बोलीकर्ताओं को दिये गये करार इस प्रकार थे:

कार्य का ब्यौरा	कार्य देने का माह	ठेकेदार का नाम	करार राशि (सेवाकर सहित)	अनुसूचित पूर्णता माह
ग्रुप- क के लिए पाईपलाईन डालने का कार्य (351.26 किमी)	अप्रैल 2014	मै. जयहिन्द प्रोजेक्ट लिमिटेड (जेपीएल)	₹120.58 करोड़	अगस्त 2015
ग्रुप-ख के लिए पाईपलाईन डालने का कार्य (318.40 किमी)		मै. कोरटेक इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	₹108.35 करोड़	सितम्बर 2015
स्टेशन कार्य (ग्रुप-क व ख)	जुलाई 2014	मै. फरनैस फैब्रिका (इंडिया) लिमिटेड	₹42.57 करोड़ (ग्रुप-क) और ₹45.88 करोड़ (ग्रुप- ख)	अक्टूबर 2015

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी बोली खोलने की तिथि से बढ़ायी गयी बोली वैधता अवधि अर्थात् 186 दिनों¹⁸ के भीतर भी प्रारंभिक निविदा के अन्तर्गत करार को नहीं दे सकी और बाद में दूसरी निविदा के माध्यम से कार्य को दिया गया जिससे ₹63.86 करोड़¹⁹ की अतिरिक्त लागत आई। यह भी देखा गया कंपनी के कार्य प्रक्रिया मैनुअल में अनुबंध देने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप देने के लिए किसी भी समय सीमा को निर्दिष्ट नहीं किया था। हालांकि कंपनी ने कहा कि आमतौर पर पार्टियों को तकनीकी व्यवसायिक बोली खोलने के बाद 4 माह के लिए बोली को वैध रखने के लिए कहा जाता है। 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए दो वर्षों के दौरान, कंपनी के पाईपलाईन डिवीजन ने प्रोसेसिंग को अन्तिम रूप देने के लिए औसत 127 दिन लिए थे।

कंपनी ने उत्तर दिया (जुलाई 2017) कि अध्यक्षीय निविदा के प्रसंस्करण में देरी एकल व्यक्ति या विभाग के कारण नहीं है: बल्कि यह विभिन्न विभागों से अधिकारियों की कार्यवाही के कारण संचयी देरी थी, जो कि प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण हुई। तथापि, संबंधित अधिकारियों के संवेदीकरण के लिए, निविदा और इंटेन्डिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की काउंसलिंग की गई और कुछ वरिष्ठ स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारियों को कॉरपोरेट असन्तोष पत्र भी जारी किये गये।

¹⁸ 25 जनवरी से 29 जुलाई 2013

¹⁹ पुनः निविदा के बाद अनुबंध राशि अर्थात् ₹17.38 करोड़ (120.58 + 108.35 + 42.57 + 45.88) में से प्रथम निविदा के समय पर अन्तिम अनुबंध राशि घटाने पर - ₹253.52 करोड़ (124.65 + 128.87)

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है कि जबकि कंपनी सामान्यतः 127 दिनों के भीतर निविदा देने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेती है। इस मामले में, कंपनी 186 दिनों की बढ़ाई गई बोली-वैधता अवधि के भीतर भी पहली निविदा का अन्तिमिकरण करने में विफल हो गई और जिसके परिणामस्वरूप दूसरी निविदा के माध्यम से कार्य को देने में ₹63.86 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई। आगे, मै. जेपीएल को दिए गए कार्य के एक भाग को बाद में मै. नंदनी इम्पैक्स (प्रा.) लि. (अक्टूबर 2016) और केपीटीएल को दिया गया (जनवरी 2017) तथा कार्य को अक्टूबर 2017 तक दो वर्ष और नौ माह²⁰ से अधिक समय के बावजूद भी पूर्ण किया जा सका।

निविदा के सामयिक अन्तिमिकरण की आवश्यकताओं पर अधिकारियों के संवेदीकरण में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए, लेखापरीक्षा सिफारिश करता है कि कंपनी उस समय सीमा को निर्धारित करे जिसके भीतर कार्य देने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए। मामले को सितंबर 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

9.8 परियोजना भत्ते के रूप में अधिकारियों को अनियमित भुगतान

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डीपीई दिशानिर्देशों के साथ-साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में अपने अधिकारियों को परियोजना भत्ते के प्रति ₹11.38 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) भारत सरकार (जीओआई) ने अपने कार्यालय जापन (ओएम) दिनांक 26 नवंबर 2008²¹ द्वारा 1 जनवरी 2007 से प्रभावी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे के कार्यकारियों के वेतन के संशोधन और भत्तों के लिए नीति को तैयार किया। उक्त ओएम इसके साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि अधिकारियों को स्वीकार्य भत्ते और अनुलाभ सुविधाओं पर सीपीएसई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निर्णय लेंगे। तथा कैफेटेरिया अप्रोच के अन्तर्गत अधिकारियों को सुविधाओं और भत्तों के सैट से चयन मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अनुमत होना। केवल चार भत्तों, अर्थात् पूर्वोत्तर भत्ता, भूमिगत खनन के लिए भत्ते, विशेष भत्ते जो दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए जैसा भी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हो और मैडिकल चिकित्सकों के लिए गैर अभ्यास भत्तों को मूल भत्ते की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर रखा।

²⁰ मूल करार की पूर्णता अनुसूचित तिथि के संदर्भ में आंकलित

²¹ सं. 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XVII/08 दिनांक 26 नवंबर 2008

आगे, दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों को डीपीई द्वारा अपने ओएम दिनांक 29 अगस्त 2008²² के साथ पठित दिनांक 22 जून 2010²³ के द्वारा अधिसूचित किया। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में निर्दिष्ट क्षेत्रों को क,ख,ग, और घ के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था और विशेष भत्ते को मूल वेतन पर 10 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की दर पर अनुमेय किया गया था। डीपीई ने दिनांक 22 जून 2010 के द्वारा निर्देश दिया कि यदि संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कोई क्षेत्र दुर्गम और दूरस्थ माना जाता है और जो का.जा. दिनांक 29 अगस्त 2008 के अन्तर्गत नहीं आता, तो अपने वित्तीय सलाहकार के परामर्श में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने दिनांक 22 जून 2010 के डीपीई के ज्ञापन को प्रेषित करते समय (1 जुलाई 2010) सभी अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनियों को और मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य कंपनियों को निर्देश दिया कि किसी मामले में सीपीएसई द्वारा किसी क्षेत्र को दुर्गम और दूरस्थ माना जाता है और जो डीपीई ओएम दिनांक 29 अगस्त 2008 के अन्तर्गत नहीं आता है तो उस पर विचार करने के लिए उसे एमओपीएनजी के नोटिस में लाया जाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने 16 राज्यों²⁴ में जमीनी परियोजनाओं को निष्पादित किया गया/किया जा रहा था जो कि ऊपर लिखित ओएम दिनांक 29 अगस्त 2008 के अन्तर्गत नहीं आते थे। यह भी देखा गया कि कंपनी जमीनी परियोजनाओं उपरोक्त साइटों पर नियुक्त अपने कार्यकारियों को प्रति माह मूल वेतन का @10 प्रतिशत परियोजना भत्तों का भुगतान कर रही थी और इसे मूल वेतन के 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर रख रही थी। उपरोक्त भत्तों को बोर्ड द्वारा परियोजना के अनुमोदन की तिथि से अथवा परियोजना साइट पर कार्यग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में था, से भुगतान किया गया, जब तक कर्मचारी परियोजना साइट पर नियुक्त था अथवा वाणिज्यिक उत्पादन के माध्यम से परियोजना के पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो। 2013-14 से 2016-17 के दौरान कंपनी ने डीपीई ओएम दिनांक 29 अगस्त 2008 के अन्तर्गत नहीं आने वाले स्थानों के लिए अपने कार्यकारियों को ₹11.38 करोड़ के परियोजना भत्तों का भुगतान किया।

कंपनी ने बताया (अगस्त 2017) कि जमीनी परियोजना साइटें अत्यन्त कठिन थी, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से दूरदराज स्थित थी और लोजिस्टिकली कठिन स्थान था जहां जीने

²² ओएम सं. 3 (1)/08-ई-II (बी) दिनांक 29 अगस्त 2008

²³ ओएम सं. 2(77)/09-डीपीई (डब्ल्यूसी)जीएल-XII/2010 दिनांक 22 जून 2010

²⁴ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और दिल्ली

के लिए आधारभूत ढांचा नहीं था जबकि कर्मचारियों को नियमित कार्यालय के कार्यों के विपरित एक नये माहौल में कई चुनौतियों के बीच में कठोर कार्यों को कई घंटों तक करते रहना पड़ता था। यदि परियोजना भत्ते व्यक्तिगत कर्मचारियों के चयन के रूप में कैफेटेरिया अप्रोच के भीतर प्रदान किये जाने थे, तो यह परियोजना साईट में कार्य करने के लिए क्षतिपूर्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त परियोजना की साईट पर नियुक्ति एक कठिन कार्य था और इस प्रकार परियोजना भत्तों का भुगतान कठिन क्षेत्र में और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा करने के लिए उत्तर पूर्वी भत्तों/विशेष भत्तों की प्रकृति में था जिसे डीपीई दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अनुमत किया गया था।

कंपनी के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि कठिन क्षेत्रों को डीपीई के ओएम दिनांक 29 अगस्त 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था और उनके वित्तीय सलाहकार के साथ परामर्श में उपरोक्त ओएम के अन्तर्गत जो क्षेत्र नहीं आते थे उनके लिए विशेष भत्तों का निर्णय लेने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को विकल्प दिया गया था। अतः दिनांक 29 अगस्त 2008 के ओएम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के अतिरिक्त कठिन और दूरस्थ क्षेत्रों में भत्तों के भुगतान के लिए एमओपीएनपी की पूर्व अनुमति अपेक्षित थी जैसा कि दिनांक 22 जून 2010 के डीपीई के ओएम द्वारा अनुदेशित है तथा यह कम्पनी द्वारा नहीं ली गई थी। जिसे कम्पनी द्वारा नहीं लिया गया था।

इस प्रकार डीपीई दिशानिर्देशों/एमओपीएनजी के अनुदेशों के उल्लंघन में अपने अधिकारियों को परियोजना भत्तों के प्रति कम्पनी द्वारा ₹11.38 करोड़ का भुगतान किया गया था और इसलिए यह अनियमित था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (मार्च 2018) तथा कम्पनी को निर्देश दिया कि डीपीई की दिशा निर्देशों/अनुदेशों के उल्लंघन में अपने अधिकारियों को किए गए भुगतान की वसूली करे।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

9.9 डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निष्पादन संबंधित वेतन का भुगतान

ओएनजीसी द्वारा निष्पादन संबंधित वेतन के भुगतान जो कि सीपीएसई के एमओयू रेटिंग और सीधे लाभ के आधार पर होता है, में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप 2010-16 के दौरान ओवीएल के कर्मचारियों को ₹5.55 करोड़ के पीआरपी का अधिक भुगतान किया।

भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा निर्देशों (नवंबर 2008) के अनुसार निष्पादन संबंधित वेतन जो कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के कार्यकारियों को देय है, सीपीएसई के लाभ और

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रेटिंग जो कि भारत सरकार (जीओआई) के संबंधित मंत्रालय के साथ उद्यम द्वारा हस्ताक्षरित है, से सीधे जुड़ी हुई है, इस प्रकार है।

एमओयू रेटिंग	पीआरपी पात्रता स्तर
अति उत्कृष्ट	100%
बहुत अच्छा	80%
अच्छा	60%
निष्पक्ष	40%
खराब	शून्य

अनुदेश आगे बताते हैं कि पीआरपी भौतिक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित होगी और सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभों से प्रदत्त की जाएगी। आगे 60 प्रतिशत पीआरपी कर देने से पूर्व लाभ (पीबीटी) के 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के साथ दी जाएगी और 40 प्रतिशत पीआरपी वर्ष के लिए अर्जित वृद्धिशील लाभों²⁵ के 10 प्रतिशत से होंगे। कुल पीआरपी, वर्ष के पीबीटी के 5 प्रतिशत की सीमा तक भुगतान किया जाना सीमित था (उपलब्ध किटटी)।

यह देखा गया कि ओएनजीसी की पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रतिवर्ष तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) दोनों के कार्यकारियों और कर्मचारियों को पीआरपी भुगतान का निर्णय लिया जा रहा था जिसमें ओवीएल के कर्मचारियों को भी पीआरपी भुगतान करने के लिए उपलब्ध किटटी की गणना में किसी दिये गये वर्ष के लिए ओएनजीसी और ओवीएल के संयुक्त लाभों और केवल ओएनजीसी द्वारा प्राप्त एमओयू रेटिंग को लिया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि, दोनों सीपीएसई के पीआरपी स्वीकार्यता की गणना के लिए सीपीएसई के व्यक्तिगत लाभों और एमओयू रेटिंग पर विचार करने के बजाय ओएनजीसी और ओवीएल दोनों के संयुक्त लाभ और केवल ओएनजीसी की एमओयू रेटिंग के कारण 2010-16 के दौरान ओवीएल²⁶ के कर्मचारियों को पीआरपी का अधिक भुगतान किया गया जो इस प्रकार है:

²⁵ वृद्धिशील लाभ का अर्थ पिछले वर्ष के लाभ की तुलना में लाभ में बढ़ोतरी से होगा।

²⁶ हालांकि ओएनजीसी के संबंध में भी प्रणाली दोषपूर्ण थी; तो भी ओएनजीसी के कार्यकारियों के प्रदत्त पीआरपी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा के भीतर थी और इसलिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं था।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमओयू रेटिंग		पीआरपी के लिए ली गई एमओयू रेटिंग	ओवीएल कार्यकारियों को प्रदत्त पीआरपी	एमओयू रेटिंग और ओवीएल की प्रदत्त लाभ के अनुसार देय पीआरपी	ओवीएल के कार्यकारियों को अधिक/(कम) भुगतान
	ओएनजीसी	ओवीएल				
2010-11	बहुत अच्छा	अति उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	7.63	9.54	(1.91)
2011-12	अति उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अति उत्कृष्ट	10.76	8.61	2.14
2012-13	अति उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अति उत्कृष्ट	6.93	5.54	1.39
2013-14	अति उत्कृष्ट	अति उत्कृष्ट	अति उत्कृष्ट	11.33	11.33	शून्य
2014-15	बहुत अच्छा	अति उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	5.98	7.48	(1.50)
2015-16	बहुत अच्छा	अति उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	5.43	शून्य ²⁷	5.43
कुल				40.43		5.55

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) कि समान पीआरपी योजना को ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में लागू किया था क्योंकि उनके पास संयुक्त श्रमबल पूल है और कर्मचारियों को अक्सर ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश के बीच स्थांतरित किया जाता है। वेतन संरचना, श्रमबल आवश्यकता, भर्ती और कार्मिक नीति आदि, काफी हद तक केन्द्रीयकृत थे और ओएनजीसी द्वारा शासित थी और वह श्रमबल ओएनजीसी से संबंधित और कार्मिक समिथित परिचालनों के लिए केवल ओवीएल अनुमोदित थी। वर्ष 2015-16 में, ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के लिए संयुक्त आधार पर लाभ था। इसलिए, समान पीआरपी योजना के अनुसार, लाभ में से ओवीएल के कर्मचारियों को पीआरपी का भुगतान किया गया था।

उत्तर को तथ्यों के प्रकाश में देखे जाने की आवश्यकता है कि ओएनजीसी और ओवीएल दोनों अलग-अलग सीपीएसई थी, जिसने निष्पादन मुल्यांकन तंत्र के अन्तर्गत भारत सरकार के साथ अलग-अलग एमओयू हस्ताक्षर किये थे। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई

²⁷ ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने वर्ष 2015-16 के दौरान कोई लाभ नहीं बताया। हानि (कर से पहले) वर्ष 2015-16 के लिए ₹16852.67 करोड़ थी, डीपीई निर्देशों के अनुसार सीपीएसई के कार्यकारियों का देय पीआरपी जो लाभों से सीधे जुड़ी हुई थी इसलिए ओवीएल के कार्यकारियों के लिए देय पीआरपी शून्य थी।

के कार्यकारियों को देय पीआरपी सीपीएसई के लाभों और उस सीपीएसई द्वारा प्राप्त समझौता जापन (एमओयू) रेटिंग से सीधे तौर से जूडी हुई थी। इसलिए दोनों सीपीएसई के पीआरपी के भुगतान के लिए दोनों सीपीएसई के लाभों और ओएनजीसी की एमओयू रेटिंग को एक साथ लेना गलत था। आगे, पीआरपी केवल लाभों से देय था, और इसलिए, घाटे के वर्ष (2015-16) में ओवीएल के कार्यकारियों को पीआरपी देय नहीं था।

इस प्रकार कार्यकारियों के पीआरपी स्वीकार्यता की गणना के लिए ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के संयुक्त लाभों को लेने के परिणामस्वरूप 2010 से 2016 के दौरान ओवीएल के कार्यकारियों को ₹5.55 करोड़ के पीआरपी का अधिक भुगतान हुआ।

मामले को नवम्बर 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

9.10 निम्न दबाव गैस कंप्रेसर को किराये पर लेने में विलंब के परिणामस्वरूप गैस का परिहार्य जलना हुआ

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा निम्न दाब गैस कम्प्रेसर को किराये पर लेने में विलंब हुआ, जिससे गैस का अपरिहार्य जलना हुआ और जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान ₹9.83 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा ऑयल के साथ निम्न दबाव के गैस (एलपी) से जुड़े हुए उत्पादन इसके दबाव को दबाने के लिए संकुचित है और इस प्रकार इसके बाद के उपयोग के लिए मुक्त प्रवाह की सुविधा है। एलपी गैस जिसे संकुचित किया गया था जला दी गई थीं। एलपी गैस ओएनजीसी के अंकलेश्वर क्षेत्र²⁸ से उत्पादित की जाती है जिसे केन्द्रीय टैंक फार्म (सीटीएफ) पर संकुचित किया गया था और गेल (भारत) लिमिटेड को इसकी बाद की बिक्री के लिए एलपीजी संपत्र को प्रेषित की गई थी। परिसंपत्ति के एलपीजी संयंत्र में मूल्य वृद्धि उत्पादों को निकालने के बाद लगभग 62.66 प्रतिशत²⁹ गैस की मात्रा को सीटीएफ पर प्राप्त किया गया था, जिसे गेल को बेच दिया गया।

²⁸ ऑयल और प्राकृतिक गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अंकलेश्वर संपत्ति चार क्षेत्रों में फैली हुई है और अंकलेश्वर क्षेत्र क्षेत्र।

²⁹ अप्रैल 2014 से जून 2014 की अवधि के दौरान औसत बेची गई गैस पर आधारित, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है।

सीटीएफ के गैस संकुचन संयंत्र (जीसीपी) अंलेश्वर क्षेत्र जिसे 3.09 एलसीएमडी³⁰ की कुल क्षमता के साथ तीन एलपी गैस कम्प्रेसरों के साथ प्रदान किया गया था। तीन कम्प्रेसरों में से एक कम्प्रेसर की क्षमता 1.17 एलसीएम थी जो जुलाई 2014 में बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ा। खराब कम्प्रेसर का निराकरण करना पड़ा और मूल उपकरणों के विनिर्माता के प्रतिनिधियों द्वारा जांचा गया अपने इंजन की मरम्मत की संभावना के आकलन के क्रम में लेखापरीक्षा ने देखा कि 7 अक्टूबर 2014 को अर्थात् इंजन के खराब होने के बाद निराकरण करने की प्रक्रिया तीन महिनों में आरंभ हुई और विनिर्माता द्वारा जांच को दिसंबर 2014 में किया गया था तब इंजन की मरम्मत को आसान नहीं पाया गया, ओएनजीसी ने इंजन के प्रतिस्थापन करने का निर्णय लिया और प्रतिस्थापन के लिए प्रक्रिया (दिसम्बर 2014) को आरंभ किया गया। तथापि, निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण, अधिसूचना के अधिनिर्णय (एनओए) को आईएम को जारी नहीं किया जा सका, मै. क्लार्क एनर्जी इंडिया प्राइवेट लि. 17 महिनों के बाद (मई 2016) इंजन की प्रतिस्थापन करने के निर्णय की तिथि से इंजन ओएनजीसी को 05 जून 2017 की अपूर्ति किया गया था।

इसी समय पर, सीटीएफ पर प्राप्त की गई संबंधित गैस को संकुचित/कम्प्रेस करने के स्थान पर संपूर्ण संबंधित उत्पादित गैस को जलने से बचाने के उद्देश्य से वैकल्पिक प्रबंधन होने चाहिए। यह प्रबंधन दिसंबर 2014 तक होने चाहिए थे, इसके बाद इसे बदलने का निर्णय लिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने तथापि, 03 नवम्बर 2015 में केवल कम्प्रेसर को किराये पर लेने की कार्रवाई आरंभ की। कंपनी ने गैस को कम्प्रेस करने की सुविधा को किराये पर लेने के लिए आंशिक प्रस्ताव को एक वर्ष की अवधि के लिए अंकलेश्वर सीटीएफ पर अत्यधिक गैस को कम्प्रेस करने के लिए एक एलसीएमडी की क्षमता के साथ बोर्ड खरीद³¹ के माध्यम से 11 महिनों के पश्चात् इंजन को बदलने का निर्णय लिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि 11 जनवरी 2016 को कम्प्रेसर को किराये पर लेने के लिए कार्य को देने के पत्र को जारी किया गया था और गैस कम्प्रेसर को मार्च 2016 में स्थापित किया गया था। कंपनी ने तब तक किराये पर लिये गये कम्प्रेसर की स्थापना की तिथि तक एलपी गैस को जलाया।

³⁰ लाख क्यूबिक मीटर प्रति दिन

³¹ असाधारण स्थिति में केवल बोर्ड के अधिकारियों द्वारा खरीदारी जब सामग्री/सेवाएं/कार्यो था तो किसी अपात स्थिति से उबरने के लिए तत्काल आवश्यक है अथवा इन्डेंटीर पुष्टि/विस्तृत विनिर्देश देने में सक्षम नहीं है ताकि सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत खरीद ना की जा सके।

13471485.82 एससीएम मात्रा की गैस को जलाया गया, जिसे अन्यथा गैल को बेचा जा सकता था, मार्च 2015³² से मार्च 2016 की अवधि के दौरान सीटीएफ पर 21499339 एससीएम की कुल मात्रा की गठित 62.66 प्रतिशत गैस प्राप्त हुई और जिस किराये के कम्प्रेसर की लागत को घटाने के बाद ₹9.83 करोड़ की किमत थी। (अनुबंध-XII)

कंपनी ने (अक्टूबर 2017) बताया कि:

1. एक एलपी कम्प्रेसर का इंजन को जूलाई 2014 में मुख्यरूप से खराब हुआ था और जिसे कई बार ठीक करने के प्रयास किये गये जो सफल नहीं हुए थे: कंपनी ने 29 दिसंबर 2014 को एक इंजन को बदलने का निर्णय लिया जोकि आर्थिक मरम्मत से अधिक था।

2. हालांकि खराब इंजन को बदलने की कार्रवाई दिसंबर 2014 में आरंभ की गई थी, परिसंपत्ति³³ ने कम्प्रेसर को किराये पर लेने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की, क्योंकि एक नये कम्प्रेसर की उम्मीद थी, जिसकी पश्चिमी तटवर्ती पुन विकास योजना³⁴ में योजना बनाई, जो पुराने की जगह ले सकता है। यद्यपि परिसंपत्ति ने दिसंबर 2014 में कम्प्रेसर को किराये पर लेने का निर्णय लिया, निविदा को अन्तिम रूप देने और आपातकालीन बोर्ड की किराये पर लेने की पद्धति के माध्यम से कम्प्रेसर को लेने में कम से कम छः माह का समय लिया जाएगा और किराये पर लिये गये कम्प्रेसर को मई 2015 से पहले परिचालन में नहीं लगाया जा सकता था, इसलिए, इस अवधि के दौरान सभी परिस्थितियों में, उत्पादित एलपी गैस को जलाना अपरिहार्य था।

3. हजिरा-मोटवान गैस लाईन लिफ्ट गैस को क्षेत्र-1 संस्थापनों में फीड कर रही थी, जिसे सीटीएफ को निम्नदबाव गैस पुनरावर्तित आपूर्ति को जाती है, जो अप्रैल 2015 में

³² फरवरी 2015 तक कम्प्रेसर को किराये पर लेने एवं स्थापना करने के लिए पांच महिनो (वास्तविक लिया गया समय) के बाद जूलाई 2014 सं इंजन के मरम्मत के लिस गृह प्रयासों के लिए तीन महिनो पर विचार करना।

³³ अस्सेट कंपनी का संपत्ति (ऑयल उत्पादित करने वाला द्वक्षेत्र) उत्पादित करने वाला है। वर्तमान मामले में संपत्ति ओएनजीसी के अंकलेश्वर संपत्ति से संबंधित है।

³⁴ 2008 से 2028 के बीच अंकलेश्वर सम्पत्तियों के भावी उत्पादन प्रोफाइल से संबंधित भावी विस्तार के लिए 2008 में ओएनजीसी ने पश्चिमी तटवर्ती विकास योजना की परिकल्पना की थी। ओएनजीसी ने 2009-10 व 2024-25 के बीच की अवधि के लिए 2.483 एमएमटी के तेल व 6034 एमएमएससीएम की गैस के संचयी वृद्धिशील लाभ की परिकल्पना की थी; सतह की सुविधा सुधार पर कुल पूंजीगत लागत ₹1222.13 करोड़ तथा 75 कुओ की खुदाई पर कुल पूंजीगत लागत ₹967.50 करोड़ था। परन्तु, कुओ की कम उत्पादकता के कारण ओएनजीसी बोर्ड ने अपनी 269वीं मीटिंग, जो कि 28 मई 2015 को हुई, में पश्चिमी तटवर्ती विकास योजना को बंद करने की स्वीकृति दी।

छूट गया था, फलस्वरूप सीटीएफ पर कंप्रेसर के लिए एलपी गैस की सीमित मात्रा उपलब्ध थी; इसके परिणामस्वरूप अप्रैल-जुलाई 2015 के दौरान सीटीएफ पर जलाने वाली गैस की कठौती की गई। इस के कारण, एलपी गैस की मात्रा सीटीएफ पर प्राप्त की जा रही थी जब तक कि गैस लिफ्ट कुओं को चलाने के लिए वैकल्पिक विकल्प का पता लगाना अनिश्चित हो गया और आखिरकार लिफ्ट गैस के प्रबंध को अगस्त 2015 में मोटवान पर गैस लिफ्ट कंप्रेसर को किराये पर लेने के द्वारा स्थान पर रखा गया था।

प्रबंधन ने उत्तर की पुष्टि करते समय, मंत्रालय ने आगे बताया (जनवरी 2018) कि निम्नदाब गैस कंप्रेसर के अनुपलब्धता के कारण गैस जल रही थी और यह कि कंपनी को आवश्यक निवारक रखरखाव को पूरा करने की सलाह दी गई थी और गैस के जलने को कम किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में उसी प्रकार के आप्रेशनों के संबंध में सख्ती से मानक परिचालन प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी हो।

मंत्रालय ने आगे जोड़ा कि 03 जुलाई 2014 को इंजन-I में समस्या विकसित होने के बाद, सभी समस्या निवारक कार्य जैसे जांच (इंजन को छोड़कर क्रेनक शफ्ट) को 03 जुलाई 2014 के दौरान ओईएम विशेषज्ञ की सहायता से उपलब्ध श्रमबल के साथ की गई थी। ओईएम सेवा अभियन्ता को पूर्ण इंजन को खोलने की सलाह दी गई और ओईएम से उद्धरण की प्राप्ति (24 जुलाई 2014) पर, इंजन को खोलने के लिए प्रस्ताव को शुरू किया गया था (25 जुलाई 2014) मरम्मत योग्यता का आकलन करने के लिए सभी तत्काल संभावित कार्रवाईयां और ओएनजीसी द्वारा बिना समय गवाएं इंजन के पुनः परिचालन को बहाल किया गया था। किराये/खरीद नये कंप्रेसर की देरी हो गई थी क्योंकि परिसंपत्ति डब्ल्यूओआरपी की परियोजना के बोर्ड अनुमोदन के लिए इंतजार कर रहा था नये कम्प्रेसर की स्थापना के विकल्प होते हुए जिस पर बाद की तिथि पर विचार नहीं किया गया था।

उत्तर को निम्नलिखित के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है:

i) कंपनी ने 29 दिसंबर 2014 को कंप्रेसर के एक इंजन को बदलने का निर्णय लिया, जो कि आर्थिक मरम्मत से बाहर था। निविदा के लिए अपेक्षित लम्बी समय सीमा पर विचार करना और वास्तविक खरीद और कंप्रेसर की स्थापना, कंपनी को वैकल्पिक कंप्रेसर किराये पर लेने के द्वारा गैस के संरक्षण के लिए वैकल्पिक प्रबंधन के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए। तथापि कंपनी ने केवल नवंबर 2015 ने कंप्रेसर को किराये पर लेने के लिए कार्रवाई शुरू की। इंजन बदलने की आवश्यकता की पहचान के बाद भी कंप्रेसर को किराये में देरी, के परिणामस्वरूप गैस की पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी हुई।

ii) पश्चिमी तटवर्ती पुन विकास योजना को 8 अगस्त 2014 को बन्द कर दिया गया और इसलिए समायिक कार्रवाई करने के द्वारा जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है किराये वाला कंप्रेसर परिसंपत्ति को मार्च 2015 तक उपलब्ध होगा किराये पर लेने के लिए लिये गये समय पर विचार करने के बाद भी कंप्रेसर की स्थापना जैसा की प्रबंधन द्वारा बताया गया था। इस प्रकार मार्च 2015 से मार्च 2016 तक जलने से बचाया जा सकता था।

iii) हाजीरा मोटवान गैस पाईपलाईन के टूटने के साथ-साथ एलपीजी की कम उपलब्धता के कारण कंप्रेसर की निष्क्रियता के संबंध में प्रबंधन का तर्क अनुवर्ती और अप्रत्यक्षित घटना थी। जिस पर योजना के समय विचार नहीं किया जा सका। हाजीरा मोटवान गैस पाईपलाईन के टूटने के कारण गैस को जलाने में कमी को पहले ही जली हुई गैस की मात्रा और किमत का मुल्यांकन करते समय विचार में लिया गया था। आगे गैस कंप्रेसर को किराये पर लेने के लिए कार्य को देने वाले पत्र के अनुसार; क्रम्प्रेसड वास्तविक मात्रा के लिए भुगतान किया जाना था, इसलिए पाईपलाईन के टूटने के कारण किराये पर लिये गये कंप्रेसर की कम उपयोगिता परिसंपत्ति पर किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ का कारण नहीं होगी।

iv) लेखापरीक्षा ने मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा करता है कि कंपनी को समरूप आप्रेशनों के संबंध में सख्ती से मानक परिचालन होने वाली प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन ओर आवश्यक निवारक अनुरक्षणों को करने की सलाह दी। लेखापरीक्षा ने यह भी सिफारिश की कंपनी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कंप्रेसर की आवश्यकताओं का आकलन कर सकता है। कंपनी को अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं के एक पैनल को बनाने के विकल्प पर विचार कर सकती है जिससे बिना समय को गवांए कंप्रेसर को किराये पर लिया जा सके।

इस प्रकार क्षतिग्रस्त इंजन की मरम्मत योग्य होने के आंकलन में देरी और कंप्रेसर को शीघ्र किराये पर लेने में चूक, के परिणामस्वरूप मार्च 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान गैस की परिहार्य जलने के कारण कंपनी को ₹9.83 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

9.11 लंबित नकदी कॉल को वसूल करने में विफलता और उस पर ब्याज की हानि

ओएनजीसी (कंपनी) पश्चिमी तटवर्ती में 10 ब्लॉकों के संबंध में संचालक के रूप में नामित किया गया था, जो भारत सरकार की नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के विभिन्न दौर के तहत आवंटित थी। इन ब्लॉकों के संयुक्त उद्यम (जेवी) भागीदार, संयुक्त ऑपरेटिंग समझौते (जेओए) के अनुसार नकद कॉल की प्राप्ति के बाद ओएनजीसी को पंद्रह दिनों के भीतर अपने हिस्से का मासिक बिलिंग का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई थे। जेओए के अनुच्छेद 7.6.1 (डी) और 7.6.2 के अनुसार नकद कॉल का गैर भुगतान के रूप में ब्याज लगेगा। हालांकि, ओएनजीसी अपने संयुक्त उद्यम भागीदारों से 10 एनईएलपी ब्लॉकों और लंबित नकद कॉल के संबंध में ₹100.17 करोड़ और ₹92.45 करोड़ के ब्याज की वसूली करने में विफल रहा। ओएनजीसी ने संयुक्त ऑपरेटिंग एग्रीमेंट के विवाद समाधान खंड का उपयोग करने का विचार नहीं किया।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी/कंपनी) को पश्चिमी तटवर्ती³⁵ में 10 एनईएलपी³⁶ ब्लॉकों (अनुबंध-XIII) के संबंध में संचालक के रूप में नामित किया गया था, जो भारत सरकार की नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के विभिन्न दौर के अंतर्गत आवंटित थी। एक संयुक्त ऑपरेटिंग समझौते (जेओए) पर ओएनजीसी और छः अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। (भागीदारों और उनके संबंधित में साझा जेवी के विवरण के लिए अनुबंध-XIII देखें)। लेखाकरण प्रक्रियाओं से संबंधित जेओए के प्रदर्शक ए की धारा 3 के अनुसार ऑपरेटर नकद कॉल के लिए अनुमोदित कार्य के कार्यक्रम और बजट के अनुसार कार्रवाई वित्त परिचालनों के लिए आपेक्षित कुल नकदी की आवश्यकता को दर्शाते नोटिस जारी करने के हकदार थे। अन्य जेवी भागीदारों को नियत तिथि से पहले संबंधित शेयर का भुगतान ऑपरेटर को ही करना आवश्यक था। इसके अलावा, लेखाकरण प्रक्रियाओं से संबंधित जेओए के खंड 3 (एफ) अनुच्छेद 1 के अनुसार, यदि ऑपरेटर ने अग्रिम निधियों के लिए अनुरोध नहीं किया तो अन्य जेवी भागीदार तत्संबंधी प्राप्ति के बाद पंद्रह दिनों के भीतर, मासिक बिलिंग के अपने हिस्से का भुगतान करने के उत्तरदाई थे। जेओए के अनुच्छेद 7.6.1 (डी) और 7.6.2 के अनुसार,

³⁵ भारत के पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित ऑफशोर बेसिन जो उत्तर-उत्तर पश्चिम में सौराष्ट्र के बीच और दक्षिण में केरल कोकण के बीच स्थित है।

³⁶ हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और उत्पादन में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों को एक स्तरीय खेल मैदान प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1997-98 के दौरान नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएसपी) तैयार की गई थी। एनईएलपी के तहत, भारतीय, निजी और विदेशी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉक दिये गये। 1999 से 2012 की अवधि के दौरान एनईएलपी के नौ दौरों के तहत कुल 254 ब्लॉकों को दिया गया।

नकद कॉल के गैर भुगतान पर भारतीय स्टेट बैंक के पांच प्रतिशत अंकों के दर के आधार पर ब्याज लागू होगा। तदनुसार, ओएनजीसी ने संयुक्त उद्यम भागीदारों से नकद कॉल के लिए हर महीने बिल जारी किए।

लेखापरीक्षा में देखा गया है कि वर्ष 2004/2007-08 से भागीदारों से बकाया देय लंबित थे। हालांकि लेखाकरण प्रक्रियाओं से संबंधित जेओए के अनुच्छेद 1 के खंड 3 (एफ), ओएनजीसी को अन्य जेवी भागीदारों द्वारा 15 दिनों के भीतर बिल राशि का भुगतान अपेक्षित था। हालांकि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद से सभी संयुक्त उद्यम भागीदारों पर ब्याज के लिए दावा किया। ब्याज सहित भागीदारों से लंबित कुल नकद कॉल (30 नवम्बर 2017) ₹192.62 करोड़ तक थी (मूलधन की राशि ₹100.17 करोड़ और ब्याज राशि ₹92.45 करोड़)।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

1. गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) पांच³⁷ तटवर्ती ब्लॉकों के लिए संयुक्त उद्यम के संबंध में भागीदार था। जीएसपीएल इन ब्लॉकों में व्यय के अपने हिस्से के प्रति ₹7.27 करोड़ और उसी पर ब्याज के प्रति ₹60.42 करोड़ की राशि का भुगतान करने में विफल रहा (नवंबर 2017), हालांकि कंपनी द्वारा उठाए गए नकद कॉलों से संबंधित कोई विवाद नहीं था। ओएनजीसी ने ₹6454.26 करोड़ के लिए दीनदयाल पश्चिम क्षेत्र (मार्च 2017) में एक अन्य ब्लॉक केजी-ओएसएन-2001/3³⁸ में जीएसपीसी के संपूर्ण 80 प्रतिशत सहभागी ब्याज (पीआई) को अर्जित किया। हालांकि, कंपनी ने ब्लॉक केजी-ओएसएन-2001/3 के अधिग्रहण के प्रति जीएसपीसी के ₹69.69 करोड़ के लंबित नकद कॉलों के समायोजन पर विचार नहीं किया।
2. कंपनी के संयुक्त उद्यम भागीदार केयर्न इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ कई मुद्दों पर विवाद थे जैसे न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) में प्रतिबद्ध गहराई से अतिरिक्त कुएं की गहराई की लागत से अधिक और ब्लॉक जीएस-ओएसएन-2003/1 और केके-डीडब्ल्यूएन-2004/1 के संबंध में मुख्य कार्यालय खर्च के अधिक आवंटन जो नकद

³⁷ केके-डीडब्ल्यूएन-2005/2, एमबी-ओएसएन-2005/5, एमबी-ओएसएन-2005/6, एमबी-ओएसएन-2005/1 और जीके-ओएसएन-2009/1.

³⁸ ब्लॉक केजी -ओएसएन-2001/ एक अलग ब्लॉक था, जिसे जीएसपीसी (80)), जीजीआर(10), जेओजीपीएल (10) के संघ को एनईएलपी-III के तहत दिया गया। ऑपरेटर, गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड था। ओएनजीसी इस जेवी में भागीदार नहीं था, तथापि ओएनजीसी ने (मार्च 2017) ब्लॉक में जीएसपीसी के पूरे (80) प्रतिशत शेयर का अधिग्रहण किया।

कॉल में शामिल था। सीआईएल ने ब्लॉक में अपने खर्च के हिस्से की ₹12.25 करोड़ की राशि रोक दी थी। नवम्बर 2017 तक कुल राशि पर ₹21.92 करोड़ ब्याज की राशि रोकी गई। हालांकि, कंपनी ने (सितंबर 2013) मेसर्स केयर्न के वित्त दल को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, संयुक्त उद्यम भागीदारों ने बकाया देयों का भुगतान नहीं किया, इसके बावजूद कंपनी द्वारा खर्च पर भागीदार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया। कंपनी ने पीएससी/जेओए के पंचाट खण्ड के आह्वान के लिए प्रस्तावित (अगस्त 2014) किया था हालांकि, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया।

3. जेओए के खंड 7.7 के अनुसार, कंपनी को नकद कॉल के भुगतान की देय तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए चूक के जारी रहने के मामले में प्रचालन समिति (ओसी) के सामने आने वाले किसी भी मामले में मतदान करने के लिए चूक करने वाले भागीदारों को चूक को रोकने के लिए एक लिखित नोटिस जारी करने का हक दिया था। 90 से अधिक दिनों के लिए जारी चूक मामले में, चूक पक्ष के पीआई का अनुपात जब्त किया जा सकता है। हालांकि दस ब्लॉकों से संबंधित छह संयुक्त उद्यम भागीदारों से ₹192.62 करोड़ की राशि लंबित थी, ओएनजीसी ने केवल एस्सार एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (एस्सार) के संबंध में अप्रैल 2016 से लंबित नकद कॉलों के प्रति ₹58.66 करोड़ की अवैतनिक बकाया राशि के संबंध में और ब्लॉक एमबी- ओएसएन-2005/3 में अपने ब्याज से संबंधित उस पर ब्याज के प्रति ₹5.77 करोड़ के लिए नोटिस जारी करके जब्ती के लिए (नवंबर 2017) इस अधिकार का प्रयोग किया। नोटिस के आधार पर एस्सार (दिसंबर 2017) प्रचालन समिति (ओसी) की बैठक में मैत्रीपूर्ण ढंग से मामले को हल करने के लिए सहमत हुआ। हालांकि, कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था (31 जनवरी 2018)। यद्यपि एस्सार ने लंबित नकद कॉलों को हल करने के लिए प्रचालन समिति की बैठक (दिसंबर 2017) में सहमति दी थी।
4. जेओए का अनुच्छेद 19 (i) एक संयुक्त विशेषज्ञों की समिति द्वारा सुलह (ii) मध्यस्थता के माध्यम से समाधान और (iii) सरकारी कंपनियों के बीच विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करता है। ओएनजीसी ने हालांकि दस में से किसी भी ब्लॉक में उक्त खंड का आह्वान नहीं किया।
5. जेओए का अनुच्छेद 12.1 के अनुसार, ब्याज का भुगतान, जो जेओए के प्रावधानों के अनुसार लागू होता है और जो परिचालक द्वारा यथोचित निर्धारित किया जाता है जिसे संयुक्त परिचालन समझौते से आहरित करने से पहले विलंबित भुगतानों पर भागीदार द्वारा किया जाना अपेक्षित है। कुल 10 ब्लॉकों में से 6 ब्लॉकों के संबंध में लाइसेंस

पहले ही त्याग दिये जा चुके थे और ब्लॉकों को भारत सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जैसा कि 6 ब्लॉकों में आत्मसमर्पण कर दिया गया था, इन ब्लॉकों के बकायेदार भागीदारों में से ₹13.35 करोड़ की भी मूल राशि की वसूली की संभावना दूर थी।

भागीदारों से लंबित कुल नकद कॉल (30 नवम्बर 2017) ब्याज सहित ₹192.62 करोड़ की सीमा तक थी (अनुबंध-XIII लंबित राशि का ब्लॉक/भागीदार वार के विवरण के लिए)।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2017) कि,

- i. जीएसपीसी के ब्याज के अर्जन के लिए जीएसपीसी के साथ समझौता, ब्लॉक केजी-ओएसएन-2001/3 में किसी अन्य ब्लॉकों से देय राशि के समायोजन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, जीएसपीसी ने ₹15.19 करोड़ के अविवादित नकद कॉल का भुगतान किया।
- ii. केयर्न के संबंध में भागीदारों के विवाद को कंपनी द्वारा जेवी भागीदारों को दिए गए विस्तृत औचित्य के साथ जवाब दिया जा रहा था।
- iii. कंपनी द्वारा शेष नकद कॉल व ब्याज बकाया वसूलने के प्रयास किए जा रहे थे।

उत्तर निम्नलिखित के प्रकाश में देखा जाना चाहिए:

- केयर्न इंडिया लिमिटेड से विवादों के कारण 10 वर्षों से अधिक समय से वसूली के लिए बकाया लंबित थे। राशि वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ न करने के कारणों को प्रबंधन द्वारा नहीं बताया गया।
- कंपनी ने जेओए के खंड 7.7 के तहत पीआई के अनुपात को जब्त करने के लिए दोषी दलों में से किसी पर कार्रवाई नहीं की थी।
- जेओए का खंड 19 (i) एक संयुक्त विशेषज्ञों की समिति द्वारा सुलह (ii) मध्यस्थता के माध्यम से समाधान और (iii) सरकारी कंपनियों के बीच विवादों के समाधान के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए प्रावधान करता है। ओएनजीसी ने हालांकि उपरोक्त खंड के प्रावधानों का आह्वान नहीं किया।

नवंबर 2017 तक बकाया राशि ₹100.17 करोड़ की धनराशि है। नकद कॉलों की वसूली के लिए समय पर कार्रवाई करने में असफलता के कारण ₹92.45 करोड़ की ब्याज राशि की हानि हुई है। इसके अलावा, 10 ब्लॉकों एनईएलपी में से 6 पहले ही भारत सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके थे, जिससे शेष राशि की वसूली का संभावित प्रतिपादन अधिक दूर था। हालांकि, लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए संयुक्त परिचालन समझौते के खंड 7.7 या खंड 19 के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

यह मामला नवंबर 2017 में मंत्रालय को भेजा गया था। उनके उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

9.12 एक व्यवहार्य परियोजना पर अनावश्यक व्यय

ओएनजीसी ने ₹16.60 करोड़ की कुल लागत पर भू-तकनीकी और प्री-इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के लिए ब्लॉक सीबी-ओएस-1 और संलग्न परामर्शदाता से तेल के विकास और निकासी से संबंधित पूर्व परियोजना गतिविधियां शुरू की। बाद में, परियोजना की आंतरिक समीक्षा में, कंपनी ने तीन कुओं के शामिल अतिरिक्त संचालन व्यय अमरीकी डालर 285.60 मिलियन के लिए वर्क-ओवर ऑपरेशन के लिए आवश्यकता पर ध्यान दिया जिसकी भू-तकनीकी सर्वेक्षण के लिए सलाहकार की वचनबद्धता से पहले विकास योजना की तैयारी के समय अनजाने में कंपनी द्वारा अनदेखी की गई। वर्क-ओवर ऑपरेशन की इस अतिरिक्त लागत के कारण, यह परियोजना नकारात्मक आईआरआर के साथ आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बन गयी। इस प्रकार, ब्लॉक में खर्च किए गए भू-तकनीकी³⁹ सर्वेक्षण पर ₹16.60 करोड़ (ओएनजीसी का शेयर ₹9.17 करोड़) का अनावश्यक व्यय प्रतिपादित हुआ था।

भारत सरकार (जीओआई) ने वाल्को एनर्जी इंक., हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एचओईसी), टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड (टीपीएल) और ऑयल एण्ड नेचुरल गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी), के एक संघ को संचालन और विकास के लिए खंभात की खाड़ी में, ब्लॉक सीबी-ओएस-1 को बोली के 6 अंवेशण दौर के अंतर्गत 25 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया (19 नवंबर 1996)। जेवी ने 2004 तक, ब्लॉक में सात खोजपूर्ण कुएं ड्रिल्ड किये थे जो उत्पादन बंटवारे के अनुबंध के चरण-1 के तहत प्रतिबद्ध थे। ओएनजीसी दिसंबर 2004 में ब्लॉक के परिचालक बन गया जब मेसर्स हार्डी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन्स (इंडिया) इंक,

³⁹ मंच की स्थापना के लिए जैक-अप रिग और ढेर क्षमता विश्लेषण उथले पानी विश्लेषण के लिए लैंग पेनीट्रेशन के प्रयोजन के लिए उप सतही सामग्री उचित इंजीनियरिंग गुण के मूल्यांकन को मिट्टी के नमूने के लिए समुद्रतल स्तर से नीचे भू-तकनीकी अध्ययन/ सर्वे उपसतही स्ट्रेटिग्राफी के अन्वेषण के लिए किया जाता है (इस मामले में 130.30 मीटर तक)।

ऑपरेटर, अंवेशण अवधि के चरण-II में प्रवेश नहीं करने का निर्णय लिया। इसके बाद ओएनजीसी ने जेवी में अतिरिक्त 30 प्रतिशत सहभागी ब्याज (पीआई) का अधिग्रहण (फरवरी 2008) किया और इसके पीआई को 55.26 प्रतिशत बढ़ा दिया। ब्लॉक का पुनर्निर्धारित क्षेत्र डी-रिज (656 वर्ग किमी) और ए-रिज (190 वर्ग किमी) का गठन किया गया और अंवेशण चरण 24 महीने का था।

ब्लॉक की प्रबंधक समिति (एम सी), ने ए-रिज⁴⁰ की वाणिज्यिकता को मंजूरी दे दी (17 दिसंबर 2007) और भी डी-रिज त्यागने का फैसला किया। ओएनजीसी द्वारा प्रस्तावित ए-रिज के विकास की योजना (पीओडी) को 27 मार्च 2009 को एमसी द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। ब्लॉक के विकास की योजना को पर्यावरण एवं वन (एमओईएफ) मंत्रालय से मंजूरी लेनी अपेक्षित थी चूंकि ड्रिलिंग पैड पर पहुंचने के लिए प्रस्तावित मार्ग जो तटीय वनस्पतियों के बीच से था की चूंकि आवश्यक मंजूरी एमओईएफ से प्राप्त नहीं की जा सकी है, 1996 तक कंपनी द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर कंपनी द्वारा अपतटीय विकल्प के माध्यम से विकास (आरपीओडी) की एक संशोधित योजना तैयार की गई थी। आरपीओडी को एमसी ने 13 जून 2014 को मंजूरी दी थी। आरपीओडी के अनुमोदन के बाद कंपनी ने पूर्व-परियोजना के कार्यकलाप शुरू किए और 28 मार्च 2015 को मेसर्स कोमाकोए⁴¹ को क्षेत्र के भू-तकनीकी एवं प्री-इंजीनियरिंग सर्वेक्षण का कार्य दिया गया। मेसर्स कोमाकोए ने सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया और जून 2015 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके लिए कंपनी ने ₹16.60 करोड़ का भुगतान किया।

इस दौरान कंपनी ने (अगस्त 2014) में पुनः परियोजना की आंतरिक रूप से समीक्षा की और पाया कि तीन कुओं की ड्रिलिंग सहित अनुमोदित आरपीओडी जो उत्पादित ऑयल और गैस के मुल्यांकन के लिए तटवर्ती स्थानों से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा, कुओं के लिए ऑयल की कृत्रिम लिफ्ट के लिए इलैक्ट्रिक सबमरसीबल पम्प (ईएसपी) की स्थापना के लिए अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि अनुमोदित आरपीओडी में, कंपनी ने ईएसपी स्थापना पर विचार किया, दो से तीन की लागत वर्क-ओवर ऑपरेशन समय-समय पर ईएसपी बदलने के लिए अपेक्षित थे वर्क-ओवर रिग के संघटन/असंघटन की लागत सहित परियोजना के अधिक मुल्यांकन को करते समय विचार नहीं किया गया था (ओपी ईएक्स) वर्क-ओवर आवश्यकताओं की पहचान के कारण 285.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त परिचालन व्यय हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओपीईएन ने आरपीओडी में केवल 64.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर को प्रस्तावित और अनुमोदित किया था। क्षेत्र में वर्क-ओवर ऑपरेशनों के

⁴⁰ पृथ्वी की सतह का एक लंबा, संकीर्ण, ऊंचा खंड।

⁴¹ मै. कोस्टल मरीन निर्माण एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड।

लिए अपेक्षित 285.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त लागत पर विचार करते हुए, निवल वर्तमान मुल्य (एनपीवी) जो 44.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सकारात्मक आकड़े थे जो आरपीओडी के प्रस्ताव में 62.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकारात्मक आकड़ों में बदल गये।

क्रुड ऑयल किमतों की मंदी और फलस्वरूप परियोजना की विपरीत अधिक व्यवहार्यता की दृष्टि में कंपनी ने परियोजना से बाहर निकलने का निर्णय (अक्टूबर 2015) लिया। प्रस्ताव कंपनी के निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया था, कंपनी ने तथापि, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अनुमोदन नहीं लिया। मामले पर 2 जनवरी 2016 को आयोजित परिचालन समीति की बैठक में बातचीत हुई तक विचार विमर्श के लिए एनसी को अव्यवहार्य टैकनो आर्थिक परिदृश्य के मामलों को संर्दभ करने का निर्णय लिया था। तदानुसार एक अनुरोध पत्र (4 जुलाई 2014) ब्लॉक को टैकनो आर्थिक के विपरित एफसी को सूचित करने के लिए महानिदेशक हार्डिज़ोकार्बन (डीजीएच) को भेजा गया। क्योंकि डीजीएच को एनसी बैठक में नहीं बुलाया, कंपनी ने सूचित किया (मार्च 2017) डीजीएच को कि ब्लॉक से निकलने का विचार किया जा रहा था।

डीजीएच ने कंपनी को 31 अगस्त 2017 तक ब्लॉक को त्यागने की सलाह दी (जून/अगस्त 2017) क्योंकि खण्ड ए का विकास वित्तीय प्रतिबद्धता की कमी के कारण शुरू नहीं हो सका, और जिसके चलते आगामी कार्यवाई को करने के लिए भारत सरकार को समर्थ किया। डीजीएच ने तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा (5 सितंबर 2017) ब्लॉक सीबी ओएस खाडी ए के लिए पीएससी की समाप्ती हेतु, कार्य कार्यक्रम को तैयार और कर््यान्वित करने के लिए परिचालन को विफलता के कारण, के साथ-साथ वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए कार्य कार्यक्रम एवं बजट को प्रस्तुत करने के कारण बताने की सलाह दी (31 अक्टूबर 2017) क्योंकि पीएससी को अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिए अनुबंध को धारा 30.2 (जी) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, जिसके कारण भारत सरकार कंपनी को किसी अन्य संर्दभ के बिना पीएससी के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रतीक्षित था (जनवरी 2018) लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करते समय, वर्क-ओवर की आवश्यकता और कंपनी द्वारा ब्लॉक के लिए 285.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त परिचालन लागत की अनदेखी की गयी थी। इस प्रकार, कंपनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना अर्थशास्त्र और आरपीओडी को अनुमोदित करते समय एनसी द्वारा विचार किया गया क्योंकि ओपेक्स के गलत आयोजन के कारण ये त्रुटि पुर्ण थे। यदि

कंपनी ने ओपेक्स का मुल्यांकन सही तरीके से किया होता तो, ब्लाक का विकास अव्यवहार्य हुआ होता और इससे क्षेत्र के भू-तकनीकी और पूर्व-इंजीनियरिंग सर्वे के लिए परामर्श को देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार आरपीओडी के प्रस्तुतीकरण के समय पर वर्क-ओवर आवश्यकता शामिल करने की विफलता से सीबी-ओएस-1 ब्लाक में भू-तकनीकी सर्वे और पूर्व इंजीनियरिंग सर्वे ₹16.60 करोड़ (ओएनजीसी का हिस्सा ₹9.17 करोड़) का अपरिहार्य व्यय हुआ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (नवंबर 2017) में बताया कि:

- i. कंपनी द्वारा एतिहासिक डाटा संग्रहण पर आधारित आरपीओडी को तैयार किया गया था, अतः आरपीओडी को अनुमोदन करने के लिए 13 जून 2014 को आयोजित प्रबंधन समिति बैठक में, डीजीएच ने यह सिफारिश की थी कि अनुबंधकर्ता को पीवीटी, एससीएएल और वेल डाटा जनरेट करना चाहिए क्योंकि कोई नया/अतिरिक्त डाटा प्रदान नहीं किया गया था। बाद में, 29 दिसंबर 2014 को आयोजित बैठक में, जेवी भागीदार ने भी बताया कि परिचालक को पूर्व योजना आवश्यकताओं के साथ आगे आना चाहिए जोकि पहले ही अनुमोदित भाग थी। पूर्व योजना विकास गतिविधि 20 मार्च 2015 को प्रबंधन समिति द्वारा 2014-15 और 2015-16 के लिए कार्य कार्यक्रम में भी अनुमोदित थे।
- ii. जब ओएनजीसी द्वारा अनुमोदित आरपीओडी की आन्तरिक रूप से समीक्षा की गई तो यह पाया गया था कि इसमें निश्चित कमियां थी और दर्शाये गये परिणाम बिल्कुल ठीक नहीं थे, जिसे डीजीएच को दिनांक 29 जूलाई 2015 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था।
- iii. कंपनी ने अपने 29 जूलाई 2015 को पत्र को डीजीएच को भी दो विकल्पों में श्रेणीगत बताया है। कंपनी का प्रथम विकल्प था कि कम से कम 2 से 3 तक वर्क-ओवर कार्यों को उथले पानी रिज की 3 कूपों के लिए किराये पर लेने की आवश्यकता के लिए प्रत्येक वर्ष आपेक्षित होगी। द्वितीय विकल्प को कंपनी द्वारा किया गया था कि करीब आधा किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा एक द्विप का साईट पर निर्माण किया जाए जहां किसी के भी द्वारा ओएनजीसी के रिज भूमि पर ड्रिलिंग को किया जा सके। द्वितीय विकल्प की 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक सापैक्स में अधिक खर्चोला था और जो कि अव्यवहार्य था।

प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित के प्रकाश के देखने की आवश्यकता है:

1. स्वयं 13 जून 2014 को एमसी के अनुमोदन के लिए ओएनजीसी द्वारा आरपीओडी प्रस्तुत किया था जिसमें त्रुटियां थी जिससे उस पर वर्क-ओवर जोब्स के लिए 285.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत पर विचार नहीं किया था। वर्कओवर लागत पर विचार करने के बाद क्या आरपीओडी के लिए आकलन को सही ढंग से किया गया था, परियोजना अर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी और आरपीओडी के साथ-साथ पूर्व परियोजना विकास गतिविधियां को शामिल करने वाले संबंधित कार्य कार्यक्रम को एमसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था।
2. कंपनी ने केवल 14 प्रतिशत से अधिक या बराबर थी तो परियोजना के अनुमानित आन्तरिक दर परियोजना प्रस्तावों को स्वीकार किया, तथापि, वर्कओवर ऑपरेशन लागत पर विचार करने के बाद, सीबीओएफ के विकास के लिए प्रथम विकल्प की लागत में (-)62.13 मिलियन डॉलर की निवल वर्तमान किमत के साथ नकारात्मक थी। कंपनी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय विकल्प 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक अधिक खर्चीला था। इस प्रकार ब्लॉक सीबी-ओएस1 के विकास के लिए डीजीएफ को दिनांक 29 जूलाई 2015 के अपने पत्र में कंपनी द्वारा दिये गये दोनों विकल्प अव्यवहार्य थे। स्तर विकल्प-I और विकल्प-II को केवल कच्चे तेल की कीमत क्रमशः 83.58 अमेरिकी डॉलर और 91.56 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर प्राप्त किया जाएगा।
3. मामले को पुनः फरवरी 2017 में डीजीएच के नोटिस में लाया गया जो बताता है कि 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की दर पर योजना/वियोजना के आकलन और तीन कुओं के लिए 0.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर/दिन की वर्क-ओवर लागत को अंजाने में बाहर किया।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा आरपीओडी में 3 कुओं के लिए वर्क-ओवर लागत को शामिल करने की चूक के परिणामस्वरूप एक एक अव्यवहार्य परियोजना पर ₹9.17 करोड़ का अपव्यय हुआ।

मामले को नवम्बर 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।

ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड

9.13 अप्रयुक्त सुविधा के लिए किराये का परिहार्य भुगतान

एलपीजी पाईपलाइन परियोजना के निष्पादन में देरी के परिणामस्वरूप दिसंबर 2015 से अप्रैल 2017 तक की अवधि के दौरान पर अप्रयुक्त एलपीजी प्राप्त और भंडारण सुविधा के लिए किराये के प्रति गुजरात कैमिकल पोर्ट टर्मिनल कंपनी लिमिटेड (जीसीपीटीसीएल) को ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड (ओपाल) द्वारा ₹22.91 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड (ओपाल) द्वारा एक पेट्रो कैमिकल काम्प्लेक्स दाहेज पर स्थापित किया जाना था, जिसे दाहेज पर ओएनजीसी के निष्कर्षण संयंत्र से फीड इथेन (सी2), प्रोपेन (सी3) और ब्यूटेन (सी4) पर परिचालन करने के लिए परिकल्पित किया गया था।

ओपाल ने अपने पेट्रो कैमिकल संयंत्र के लिए सी2, सी3 और सी4 की आपूर्ति के लिए, ओएनजीसी के साथ प्रबंध किया था। मूल योजना के अनुसार, सी2, सी3 और सी4 का गैसीय फीड स्टॉक को ओएनजीसी के निष्कर्षण संयंत्र से प्राप्त किया जाना था, जो विशेष आर्थिक जोन, दाहेज पर स्थित था। तथापि, ओएनजीसी की दाहेज सुविधा के प्रस्तुत की जाने वाली अनुमानित सी2, सी3 और सी4 की मात्रा परिकल्पित क्षमता के केवल 76 प्रतिशत थी जब की ओपाल संयंत्र के लगातार ऑपरेशन के लिए फीड की आपूर्ति निरन्तर आवश्यक थी। अतः ओपाल ने समुद्री मार्ग के माध्यम से फीड की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक प्रबंधों की योजना बनाई (अक्टूबर 2014), इस कार्य हेतु दाहेज पोर्ट पर भंडारण सुविधा आवश्यकता थी, साथ में इस भंडारण सुविधा से पेट्रो कैमिकल काम्प्लेक्स तक फीड के वहन के लिए एक समर्पित पाईपलाइन भी आवश्यक थी।

ओपाल ने प्रतिमाह न्यूनतम गारंटी कार्यक्षमता अथवा वास्तविक कार्यक्षमता के लिए ₹1300 प्रति मैट्रिकटन (एमटी) वार्षिक कार्यक्षमता प्रभारों पर भंडारण सुविधा के लिए जो भी अधिक हो, गुजरात कैमिकल पोर्ट टर्मिनल कम्पनी लिमिटेड (जीसीपीटीसीएल) के साथ एक समझौता किया, जो जून 2015⁴² (से प्रभावी) से देय था एमजीटी के लिए प्रभार वर्ष 2015-16 के लिए ₹210 प्रति केटीए⁴³ पर और वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए ₹270 प्रति केटीए पर निर्धारित थे। बाद में (फरवरी 2016) ओपाल के ध्यान में आया कि

⁴² हालांकि, पाइप लाइन बिछाने न होने के कारण जीसीपीटीसीएल द्वारा दिसंबर 2015 तक कोई चालान नहीं उठाया गया

⁴³ किलो टन प्रतिवर्ष

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) भी अप्रैल 2015 के बाद से जीसीपीटीसीएल सुविधा का उपयोग कर रही थी अतः एमजीटी प्रभारों को कम करने के लिए जीसीपीटीसीएल से अनुरोध किया था। जीसीपीटीसीएल अनुरोध से सहमत हो गया और एमजीटी प्रभारों को जून 2016 से ₹270 प्रति केटीए से ₹110 प्रति केटीए तक घटा दिया। ओपाल ने जीसीपीटीसीएल से पाइपलाइन के माध्यम से फिड के परिवहन के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श के डिजाइन के कार्य को ईआईएल को देने का निर्णय (अक्टूबर 2014) किया, क्योंकि दाहेज पर स्थापित होते हुए वे भी ओपाल पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स के लिए परियोजना प्रबंधन में परामर्शदाता थे। पाइपलाइनों का बिछाना जून 2015 तक पूर्ण किया जाना अनुसूचित था। यद्यपि कंपनी ने पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स के परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिए ईआईएल के साथ पहले ही हस्ताक्षरित समझौते के लिए एक अलग परिवर्तन आदेश को ईआईएल को अतिरिक्त कार्य को देने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन दिया जिसे कम्पनी द्वारा जारी नहीं किया गया था। फलस्वरूप ईआईएल ने अपेक्षित परिवर्तन आदेशों के प्रभार के लिए भुगतान के साथ लंबित रखा कार्य के अंशिक प्रगति के बाद फीड के परिवहन के लिए परियोजना से संबंधित गतिविधियों के रोक दिया। ओपीएल के साथ बैठक में (28 सितम्बर 2016) ईआईएल एलपीजी योजना के लिए भुगतान को सुनिश्चित और कार्य के लिए प्रस्तुत बजटीय उद्धरण शेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए मंजूर हो गया था। अक्टूबर 2016 में नौ ईआईएल से प्राप्त हुई बजटीय उद्धरण पर आधारित प्रशासनिक मंजूरी और ₹1.49 करोड़ की राशि के लिए सक्षम प्राधिकरण की वित्तीय सहमति ली गई और जून 2017 के दौरान नामांकन आधार पर परामर्शदाता के रूप में ईआईएल के किराये पर लेने के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एनआईटी) जारी किया गया। ईआईएल ने सूचित किया कि ₹7.91 करोड़ के प्रस्ताव में साइट पर्यवेक्षण शुल्क शामिल था, जबकि पूर्व अनुमान सिर्फ हेड ऑफिस सेवाओं के लिए था। वार्ता के दौरान, ईआईएल ने अपने प्रधान कार्यालय प्रभार को ₹3.78 करोड़ से घटाकर ₹3.15 करोड़ कर दिया। ईआईएल पीएमसी दरों के अनुसार आवश्यकता के आधार पर तैनात वास्तविक जनशक्ति के अनुसार साइट पर्यवेक्षण प्रभारों को चार्ज करने के लिए सहमत हो गया जो कि पारस्परिक रूप से बाद में निर्धारित किए जाने थे। अनुबंध के बाद, नामांकन आधार पर सलाहकार के रूप में ईआईएल को भर्ती करने के लिए एक परिवर्तन आदेश, अगस्त 2017 में जारी किया गया था।

कम्पनी ने मई 2017 से प्रभावित जीसीपीटीसीएल के साथ समझौते को अप्रयुक्त भंडारण सुविधा के लिए भुगतान से बचने के उद्देश्य में प्रतिबंधित किया। तथापि, दिसम्बर 2015⁴⁴ से अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान जीसीपीटीसीएल से किराये पर ली गई भंडारण सुविधा अप्रयुक्त रही। जीसीपीटीसीएल ने इस अवधि के लिए एमजीटी प्रभारों के लिए कम्पनी पर

⁴⁴ यद्यपि भुगतान जून 2015 से होना था लेकिन पाइप लाइन नहीं बिछाने के कारण जीसीपीटीसीएल द्वारा दिसंबर 2015 तक चालान नहीं जारी किए गए।

बीजकों को उठाया एलपीजी भंडारण सुविधा के किराया प्रभारों के प्रति मै. जीसीपीटीसीएल को ₹22.91 करोड़ का भुगतान (अप्रैल /जुलाई 2017) किया गया। संयंत्र के निर्माण के लिए समझौता पीएमसी को परिवर्तन आदेश के जारी होने में देरी के परिणामस्वरूप पाईपलाइन बिछाने में देरी हुई और जीसीपीटीसीएल से भंडारण सुविधा के लिए किराया प्रभारों के रूप में ₹22.91 करोड़ के भुगतान का लाभ उठाया।

प्रबंधन ने जीसीपीटीसीएल को भुगतान स्वीकार करते समय बताया (जुलाई 2017/सितम्बर 2017) कि:

1. मै. ईआईएल दाहेज पर संस्थापित होने वाले पेट्रो कैमिकल कॉम्प्लैक्स के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (2009 के दौरान नियुक्त)। ओपाल ईकाई को भंडारण सुविधा से पाईपलाइन बिछाने का कार्य-कार्य के मूल क्षेत्र में नहीं था जो मै. ईआईएल को दिया गया था। ओपाल ने इस कार्य के लिए परिवर्तन आदेश खरीद आदेश को जारी किया था यह आवश्यकता मै. ईआईएल द्वारा बाद की स्थिति पर देखी गई थी और ईआईएल ने एलपीजी पाईपलाइन परियोजना पर कार्य को रोक दिया था। इसलिए, एलपीजी पाईपलाइन बिछाने की मूल योजना सलाहकार की ओर से बाधाओं के कारण अस्थगित की गई थी, तथापि, संसोधित अनुसूचि के अनुसार, यह परिकल्पित किया गया था कि एलपीजी पाईपलाइन का कार्य 1 अप्रैल 2018 तक पूर्ण किया जाएगा।
2. अप्रैल 2017 तक प्राप्त किये गये बीजकों के लिए किराये के प्रति ₹22.91 करोड़ का भुगतान किया (अप्रैल/जुलाई 2012) पाया। 11 अप्रैल 2017 को आयोजित बैठक में सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया था और पहले किये गये भुगतानों के अलावा केवल ₹63 लाख⁴⁵ की शेष राशि जीसीपीटीसीएल को भुगतान की जानी थी, एलपीजी भंडार की अप्रयुक्त सुविधा के भुगतान से बचने की उद्देश्य में, ओपीएएल ने 1 मई 2017 से प्रभावित जीसीपीटीसीएल के साथ एलपीजी समझौते को समाप्त कर दिया था और 1 मई 2017 के बाद अविध के लिए उन बीजको को उत्पन्न नहीं किया जा रहा था।

प्रबंधन के उत्तर को निम्नलिखित दृष्टिकोण में देखने की आवश्यकता है।

1. केवल अगस्त 2017 में परिवर्तन आदेश को जारी किया गया था, ना कि सितंबर 2016 में जैसा कि उत्तर में बताया गया था। ओपाल और ईआईएल के मध्य सितंबर 2016 में एक बैठक का आयोजन हुई थी, जहां ईआईएल अगर एलपीजी परियोजना के लिए भुगतान निश्चित किये जाने पर शेष दस्तावेजों/जोब को पूर्ण करना स्वीकार कर लिया था और उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि

⁴⁵ बकाया ₹63 लाख का भुगतान कंपनी द्वारा जीसीपीटीसीएल को 4 जुलाई 2017 को किया गया।

नामांकन आधार पर एलपीजी पाईपलाइन कार्य के लिए ईआईएल को खरीद आदेश (पीओ) अलग से जारी किये जाए। तथापि, निविदा प्रक्रिया के साथ-साथ खरीद मांग को जारी करने के विभिन्न स्तरों पर देरी के कारण उक्त पीओ/परिवर्तन आदेश वास्तव में अगस्त 2017 अर्थात् बैठक के ग्याराह माह बाद जारी हुए थे:

2. सलाहकार, (ईआईएल) ने ओपीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमोदन (अक्टूबर 2014) के मद्देनजर पाईपलाइन के लिए डाटा सग्रहण, मूल इंजीनियर और निविदा कम कर दिया था। तथापि, ओपीएल द्वारा ईआईएल के साथ पहले से ही मौजूद पीएमटी अनुबंध के कार्य के क्षेत्र में एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा के पीएमसी जोब को शामिल करने के लिए कोई औपचारिक परिवर्तन आदेश/खरीद आदेशों को जारी नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, आंशिक कार्य के बाद ईआईएल दल ने सभी एलपीजी योजना संबंधी गतिविधियों को रूकवा दिया अतः, इस वजह से देरी ओपाल की ओर से हुई ना कि ईआईएल की ओर से।

इस प्रकार परिवहन व्यवस्था तथा परामर्शदाता से पाइप लाइन बिछाने के कार्य आदेश में बदलाव करने की योजना से पूर्व ही फीड स्टॉक (सी2, सी3 और सी4) की भंडारण सुविधा जीसीपीटीसीएल से किराए पर लेना तथा उसको उपयोग में न लेने की वजह से एलपीजी की प्राप्ति, भंडारण तथा परिवहन सुविधा पर ओपाल को ₹22.91 करोड़ का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

मामले को नवम्बर 2017 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2018)।